

चौथी दुनिया

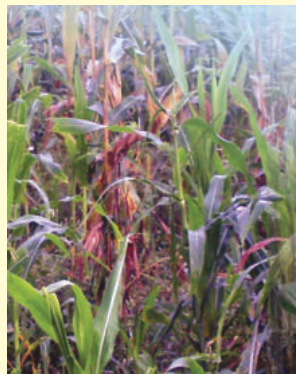
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

जमीन जाएगी तो
नक्सली बनेंगे

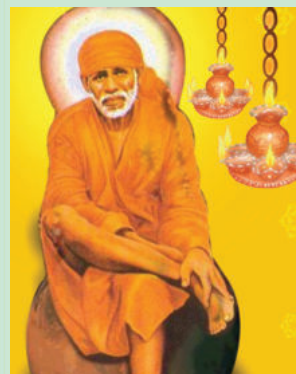
पेज 3

पसीने की जगह माथे
से रिसने लगा खून

पेज 4

घोटाले के घेरे में
गोगोई सरकार

पेज 6

साई की
महिमा

पेज 12

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद

संघ परिवार और अदालत

फोटो-सुनील प्रहरोशा



मनीष कुमार

हम कई बार यह कहावत सुनते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि न्याय दर्शन है। आज से करीब दो हजार साल पहले यूनान में थ्रेसिमेकस ने न्याय को इस तरह परिभाषित किया था। फिर प्लूटो ने न्याय को नैतिकता बताया। देशकाल के साथ-साथ न्याय के मायने बदलते चले गए। आज हमारे देश में न्याय का मतलब कोर्ट का फैसला है यानी कोर्ट में जो फैसला होता है, वही न्याय मान लिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके असर दूरगामी होने वाले हैं। बाबरी मस्जिद के स्थान पर क्या पहले से कोई राम मंदिर था, क्या यह मंदिर जन्मस्थान है, इस मंदिर और इसके आसपास की जमीन किसकी है, क्या यह वक्फ बोर्ड को मिलेगी या फिर इसे राम मंदिर बनाने वालों के हवाले कर दिया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं, जो इस फैसले को ऐतिहासिक बनाते हैं। अदालत का यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस फैसले से यह तय होगा कि भारत कितना धर्मनिरपेक्ष है। इससे यह भी तय होगा कि क्या हिंदू धर्म आज भी अपनी विरासत पर टिका है या नहीं यानी हिंदू धर्म का वह मिजाज़, जो सब कुछ समाहित कर लेता था।

अब फैसले का वक्त आ गया है, इसलिए दोनों ही पक्षों में फैसले को लेकर घबराहट है। मुस्लिम पक्ष शांत है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने पिछले महीने अयोध्या में तीन दिनों तक बैठक की और यह फैसला लिया कि अगर कोई मस्जिद बननी भी है तो वह अयोध्या शहर के बाहर ही बने। विश्व हिंदू परिषद ने भारत के लाखों मंदिरों में 16 अगस्त से लगातार 4 महीने तक हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद ने अब यह कहा है कि संसद में कानून बनाकर राम जन्मभूमि हिंदुओं को दी जाए, ताकि करोड़ों घरों में जिस मंदिर का चित्र लगा है, वह मंदिर बनाया जा सके। मतलब यह कि विश्व हिंदू परिषद ने एक तरह से यह तय कर लिया है कि कोर्ट का फैसला जो भी हो, वह अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। अगर कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में नहीं आता है तो वह उसे नहीं मानेगी। वैसे फैसला जो भी हो, इसके राजनीतिक नतीजे होंगे। फैसले के बाद जो स्थिति होगी, उससे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता



अब साधु-संत नेतृत्व करेंगे

राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रणेताओं में से एक महंत अवैद्यनाथ ने अयोध्या मसले में हाईकोर्ट का फैसला आने के पूर्व साफ-साफ राजनीतिक रेखा खींची है। वयोवृद्ध अवैद्यनाथ ने चौथी दुनिया के एडिटर इवेस्टीगेशन प्रभाव उन्नत दीन के साथ एक खास बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश:

क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से राम मंदिर आंदोलन चलाएगी?

घर में रामभक्त और संसद में सेकुलर का छद्म ओढ़ने वाले भाजपा नेताओं के हाथ में अब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व नहीं दिया जाएगा। राम जन्मभूमि आंदोलन का संचालन अब साधु-संतों के हाथों होगा। भाजपा नेता अपनी सार्थकता और उपादेयता संसद में साबित कर सकते हैं तो करें। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण निखर कर रह गया। यदि फिर से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भाजपा के हाथों में गया तो यह आंदोलन हमेशा के लिए फेल हो जाएगा।

नेतृत्व कौन संभालेगा?

साधु-संत और देश की युवा पीढ़ी। राम जन्मभूमि आंदोलन समिति का मैं ही अध्यक्ष था और अब भी मैं ही अध्यक्ष हूँ। लिहाजा मैं ही यह तय करूंगा कि आंदोलन का नेतृत्व कौन संभालेगा।

आपका आशीर्वाद किसे मिलेगा?

मेरा और देश के तमाम साधु-संतों का आशीर्वाद उसी नेता को मिलेगा, जो हिंदुओं का सम्मान बरकरार रखेगा।

कहीं आप नरेंद्र मोदी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे?

(महंत हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करती है) नरेंद्र मोदी जैसे कई लोग हैं। अकेले नरेंद्र मोदी का नाम ले लूं तो भाजपाई सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। राम-कृष्ण और शंकर हिंदू संस्कृति के मूल आधार हैं। अगर इनका अपमान हुआ

तो देश के सम्मान पर आघात पहुंचेगा। अगर हाईकोर्ट ने विपरीत फैसला दिया तो आने वाली नरस्त्रें इसे भुला देंगी? राम जन्मभूमि को क्या कोई बदल सकता है?

देश के मौजूदा राजनीतिक स्वरूप पर आपकी क्या राय है?

राजनीति का जो स्वरूप बनता जा रहा है, वह भयावह है। नेताओं को इस्लामी आतंकवाद कहते शर्म आती है, लेकिन भगवा आतंकवाद कहते हुए शर्म नहीं आती।

क्या आप अभी से मान बैठें हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आपके विपरीत आएगा?

जजों ने न्यायप्रियता से फैसला लिया तो वह राम जन्मभूमि आंदोलन के पक्ष में जाएगा। राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई करा कर अदालत ने जांच कराई। सारी जांचें अदालत की निगरानी में हुईं, फिर अदालत विपरीत फैसला कैसे दे देगी? और अगर विपरीत फैसला आया तो?

(इस सवाल पर महंत बिड़कते हैं) अगर फैसला गलत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा और उसके दोषी गलत फैसला सुनाने वाले जज होंगे। जज न्यायपूर्ण फैसला ही सुनाएंगे। मेरा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। मैं केवल फैसला सुनने के लिए जी रहा हूँ। मेरी खाहिश है कि जीते जी राम जन्मभूमि की मुक्ति देख लूं, तब मैं चैन से मरूंगा। अनुकूल फैसला आया तो मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा।

आप हमेशा से यही कहते रहे कि राम जन्मभूमि का मसला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। फिर आप अदालत के फैसले की प्रतीक्षा में क्यों हैं?

मैं तो अभी भी यह कह रहा हूँ कि राम जन्मभूमि का मसला अदालत के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। क्या अदालतें इस देश में हिंदू आराध्यों का अस्तित्व तय करेंगी? अदालत के फैसले पर नजर इसलिए है, क्योंकि इसके बाद हिंदुओं के मान-सम्मान की दशा-दिशा तय होनी है। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के हजारों मंदिर तोड़कर मरिजदें बनाईं। क्या देश में मस्जिद बनाने के लिए जगह की कमी थी? नहीं। वह केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया गया, लेकिन इसके बावजूद हम उन सभी मंदिरों की बात नहीं करते। जिन अवशेषों में हिंदू मंदिरों के प्रतीक स्पष्ट हैं, हम केवल उनकी बात करते हैं, जो खुद यह प्रमाणित करते हैं कि यह किस इरादे से किया गया था। इसके लिए क्या नए सिरे से प्रमाण जुटाने की जरूरत है? मंदिर निर्माण के मसले में हमें न्यायालय के निर्णय के बजाय देश के आम लोगों का निर्णय शिरोधार्य करना चाहिए।

पार्टी के भविष्य पर असर होगा। यह भी तय है कि फैसला आने के बाद संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जनभावनाओं को भड़का कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी।

इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी और गृह मंत्री पी चिंदबरम के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी शामिल हुए। उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसले के बाद संभावित हिंसा से निपटने के लिए केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षाबलों की मांग की है। राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील इलाकों की पहचान भी कर ली है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि की विवादित जमीन को लेकर सारी सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। हमारे देश में जिस तरह से अदालतों का काम करती हैं, उससे यही लगता है कि फैसला हो चुका है, उसे सिर्फ सुनाना बाकी है। फैसले से पहले यह कोशिश भी हुई कि आखिरी वक्त पर दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ही आखिरी होगा। हालांकि यह भी तय है कि फैसला आते ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। इस विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन जजों वाली बेंच चार टाइटल सूट पर एक साथ सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट की इस बेंच में जस्टिस डी वी शर्मा, जस्टिस एस यू खान और जस्टिस सुधीर अग्रवाल हैं। जस्टिस डी वी शर्मा एक अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए यह फैसला उससे पहले ही सुनाया जा सकता है। यह बेंच गोपाल सिंह विशारद (1950), निर्मोही अखाड़ा (1959), यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (1961) और हिंदुओं के समूह (1989) मामलों में सुनवाई कर रही थी। इन सारे मामलों की सुनवाई 39 सालों से फैजाबाद की अदालत में हो रही थी, लेकिन 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाई, जहां इन मामलों की फिर से सुनवाई शुरू हुई। फिर भी बीस साल का समय लगा, क्योंकि कई बार बेंच को बदला गया।

फैसला क्या होगा, यह तो फ़िलहाल न कहा जा सकता है और न ही अंदाजा लगाया जा सकता है, पर इतना जरूर है कि

(शेष पृष्ठ 2 पर)





एम चंद्रशेखर की तरह राव को भी सेवा विस्तार देने का फैसला हो सकता है, लेकिन उम्मीदवारों के मनोबल पर इन अफवाहों का कोई असर नहीं है।

दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

दिल्ली का बाबू

बड़बोलेपन की कीमत

नौ करशाही में शीर्ष पदों पर काबिज़ अधिकारी, खासकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के शीर्ष अधिकारी आसानी से अपनी जुबान नहीं खोलते। मीडिया के सामने तो बिल्कुल नहीं। और यदि कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती से भी यही गलती हो गई और परिणामस्वरूप उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से काफी हद तक दूर कर दिया गया है। उन्हें यह महसूस कराया जा रहा है कि मौद्रिक नीतियों को लेकर आरबीआई की आलोचना करना किसी लिहाज़ से तारीफ़ के काबिल नहीं है। चक्रवर्ती को जानने वालों की मानें तो बेवजह जुबान की लगाम खोलना उनकी आदत है। पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन पद पर रहते हुए वह वित्त मंत्रालय की आलोचना करने से भी बाज नहीं आते थे। उन्हें पिछले साल ही डिप्टी गवर्नर बनाकर आरबीआई में नियुक्त किया गया था, लेकिन इस गलती के बाद यही लगता है कि आरबीआई के गलियारों में उन्हें लंबे समय तक छोटी-मोटी जिम्मेदारियों से ही संतोष करना होगा। संभव है कि दूसरे अधिकारी चक्रवर्ती की गलतियों से सबक लेंगे।



राव के उत्तराधिकारी की तलाश

वि देश सचिव निरूपमा राव का कार्यकाल खत्म होने में अभी करीब पांच महीने का समय बाक़ी है, लेकिन विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए रस्साकशी तेज़ हो गई है। ऐसी अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं कि केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर की तरह राव को भी सेवा विस्तार देने का फैसला ले सकती है, लेकिन उम्मीदवारों के मनोबल पर इन अफवाहों का कोई असर नहीं है। इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वालों में 1974 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी एवं फ़्रांस में भारत के राजदूत रंजन मथाई, उप मुख्य सुरक्षा सलाहकार आलोक प्रसाद, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप पुरी, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नलिन सूरी और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त शरत सब्बरवाल शामिल हैं। ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि अमेरिका में भारत के मौजूदा राजदूत और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके मीरा शंकर भी इस दौड़ में शामिल हैं। हालांकि इससे पहले केवल एक विदेश सचिव ही सेवा विस्तार पाने में सफल हो सके हैं। लेकिन राव के कार्यकाल में अभी काफी समय शेष है और उनके भविष्य को लेकर कयास लगाना अभी जल्दबाज़ी होगा।



dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

संयुक्त सचिव बनेंगे सिद्धार्थ

पश्चिमी बंगाल के आईएसएस अधिकारी सिद्धार्थ भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल हो सकते हैं। सिद्धार्थ दिनेश शर्मा की जगह ले सकते हैं, जो हाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्राइस स्टेबिलाइजेशन ट्रस्ट (पीएसएफटी) में संयुक्त सचिव के समकक्ष सीवीओ के पद पर नियुक्त किए गए थे।

तीन आईडीएस बनेंगे संयुक्त सचिव

1987 बैच के तीन आईडीएस अधिकारी भारत सरकार में संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए बनाई गई सूची में शामिल किए गए हैं। इन अधिकारियों को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इन अधिकारियों के नाम हैं ए के काडवान, प्रवीण कुमार और बेंजामिना।

प्रत्यूष की जगह कौन?

प्रत्यूष सिन्हा अगले महीने के अंत तक केंद्रीय सतर्कता आयोग से जाने वाले हैं। अटकलें तेज़ हो गई हैं कि उनकी जगह कौन लेगा? 1972 बैच के एक पूर्व सचिव या किसी प्रमुख मंत्रालय के एक कार्यरत सचिव, किसके नाम पर मुहर लगती है, इस खुलासे का सबको इंतज़ार है।

शकील आलम बने उपसचिव

आईएस अधिकारी शकील आलम विनिवेश विभाग में उपसचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। शकील आईडीएस अधिकारी प्रीति नाथ की जगह लेंगे, जो जननीति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयनित की गई हैं। शकील 2001 बैच के आईडीएस अधिकारी हैं।

संघ परिवार और अदालत

पृष्ठ 1 का शेष

अब इस विवाद में अदालत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। अदालत के इस फैसले के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम होंगे। इस फैसले से प्रजातंत्र और सामाजिक ताने-बाने पर भी बहस शुरू होगी, जो इसे दूसरे देशों से अलग और मज़बूत बनाते हैं। यह बात भी सच है कि आज़ाद भारत में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद ने पहली बार इसकी धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी। संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन आज तक इस मामले में किसी भी बड़े नेता या कार्यकर्ता को कोई सजा नहीं मिली। अजीबोगरीब बात यह है कि हम जब भी इन संगठनों या इनकी विचारधारा को लेकर सोचते हैं तो यही लगता है कि भारत की अदालत इन पर ज्यादा ही मेहरबान है। चाहे मामला राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का हो, गोवंश हत्या या यूनिफॉर्म सिविल कोड, शिक्षा का भगवाकरण हो या फिर मुस्लिम आरक्षण पर इन संगठनों का विरोध, अदालत का फैसला इनके पक्ष में आ जाता है। यह बात जगज़ाहिर है कि इस विवाद में लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने देश में भय और आतंक का माहौल बनाया। उनके ही नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने गिराया। हैरानी की बात यह है कि इलाहाबाद

हाईकोर्ट ने न सिर्फ़ आडवाणी को छोड़ दिया, बल्कि उनके साथ के कई नेताओं को भी बरी कर दिया। 6 दिसंबर, 1992 को जो कारसेवा हुई, उसके बारे में भी थोड़ा गौर से समझा जाए तो कारसेवकों को वहां कारसेवा करने की अनुमति सुप्रीमकोर्ट ने दी थी। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि वहां मस्जिद को कुछ नहीं होना चाहिए और वहां भजन-कीर्तन एवं सांकेतिक कारसेवा कर सकते हैं। लाखों लोग अयोध्या में कारसेवा करने के लिए एकत्र हो रहे थे। एक धक्का और दो का नारा दे रहे थे। इंटरलिजेंस रिपोर्ट थी, फिर भी सुप्रीमकोर्ट ने सांकेतिक कारसेवा करने की अनुमति दे दी, जिससे इन कारसेवकों को बाबरी मस्जिद तक जाने से कोई नहीं रोक सका। वैसे भी एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने सुप्रीमकोर्ट के इसी बयान को अपने हिसाब से समझा और वहां मौजूद कारसेवकों को समझा दिया कि सुप्रीमकोर्ट ने कारसेवा करने को कहा है, भजन-कीर्तन करने को कहा है, लेकिन वहां पर नुकीले पत्थर हैं, जब तक उन्हें साफ़ नहीं किया गया तो लोग वहां कैसे बैठेंगे। वाजपेयी जी कारसेवकों को इशारे में बता रहे थे कि मस्जिद के गुंबद नुकीले पत्थर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले का इस्तेमाल संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में किया।

सुप्रीमकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें उसने हिंदुत्व और हिंदू की व्याख्या की है। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट द्वारा



परिभाषित हिंदुत्व और सावरकर के हिंदुत्व में ज्यादा अंतर नहीं है। कोर्ट ने हिंदुत्व को लेकर सबसे पहले 1966 में अपना रुख साफ़ किया था। मामला सत्संगियों से जुड़ा था। कोर्ट ने हिंदुत्व को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों के मुताबिक़ परिभाषित किया। कोर्ट ने हिंदुत्व को जीवन जीने का एक तरीका बताया। हमारे सामने दो तरह के हिंदुत्व हैं। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और दूसरा सावरकर का। दोनों अलग हैं। एक इनक्लूसिव है और दूसरा एक्सक्लूसिव। एक समाज में भाईचारे का पाठ पढ़ाता है तो दूसरा हिंदुओं को दूसरों के प्रति द्वेष एवं घृणा सिखाता है। यह सचमुच आश्चर्यजनक मसला है कि किस तरह कोर्ट के फैसले में दोनों एक हो जाते हैं। 1996 के सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर एक नज़र डालते हैं। यह हिंदुत्व जजमेंट के नाम से मशहूर है। जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा, हिंदुत्व और हिंदू दोनों ही भारत के निवासियों की जीवनशैली को चिन्हित करते हैं और इन शब्दों का मतलब हिंदू धर्म का पालन करने वालों के परिभाषित करने तक सीमित नहीं है। एक ही झटके में कोर्ट ने वह बात कह दी, जिसे सावरकर और संघ कहते आए हैं। सावरकर ने भी 1923 में यही कहा था कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक मनोभाव है, अवधारणा है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले से संघ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ ऐसा हथियार लगा, जिसकी वजह से वे एक सांप्रदायिक विचारधारा को कानूनी जामा पहनाने में कामयाब हो गए। 1999 के चुनावी घोषणापत्र में भारतीय जनता

पार्टी ने इस फैसले का हवाला दिया।

गोवंश हत्या का मामला हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बहस हो, कोर्ट की तरफ से ऐसे ही संदेश आते हैं, जो संघ परिवार के मनमुताबिक़ होते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर भी कई राज्य सरकारों ने पहल की, लेकिन अदालत में इसे निरस्त कर दिया जाता है। शिक्षा के भगवाकरण का मामला जब उठा था, तब भी 12 सितंबर, 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की नई किताबों को हरी झंडी देकर भारतीय जनता पार्टी को राहत दी थी। ये सारे मुद्दे राजनीतिक एवं वैचारिक बहस के मसले हैं। इन पर जब कोर्ट फैसला लेती है तो वह न्याय के रूप में देश में मान्य हो जाता है। देश में अजीबोगरीब माहौल बन रहा है। हर कोई हर विषय पर न्यायालय चला जाता है। यह देश के राजनीतिक दलों की कमी है। राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों पर हमारे नेताओं में ही साफगोई नहीं है। हर मुद्दे में वोट बैंक की राजनीति घुस जाती है और नतीजा यह है कि किसी भी राजनीतिक दल में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। हर मामला कोर्ट चला जाता है और जब कोर्ट का फैसला आता है तो उसे न्यायपूर्ण मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को शुरू हुए साठ साल हो गए। देश के लोगों ने इस विवाद की कीमत खून से चुकाई है। अब मामला अदालत के फैसले पर टिका है। फैसला क्या होगा, यह पता नहीं है, लेकिन कोई भी फैसला इतिहास में दो वजहों से शुमार होता है।

एक मामले की अहमियत और दूसरा, जब अदालत किसी मामले में अभूतपूर्व तर्कों, ज्ञान एवं बुद्धि का प्रयोग कर ऐसा फैसला सुना दे, जिससे समाज की धारा बदल जाती है। देश की अदालत ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। दोनों अवसर मौजूद हैं। एक तो मसला महत्वपूर्ण है और दूसरा अदालत के सामने भी यह मौका कि वह अपने फैसले से न्याय के मायने को एक नई दिशा दे दे। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अदालत का फैसला देश की प्रजातांत्रिक और न्याय व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो। डर इस बात का है कि ज़रा सी चूक न्याय को वापस थ्रैसिमैक्स के दिनों में लौटा देगी।

manish@chauthiduniya.com



चौथी दुनिया

देश का पहला सामाजिक अखबार

वर्ष 2 अंक 26

दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

संपादक

संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैशन, चौधरी बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैशन, चौधरी बिल्डिंग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कंप कार्यालय एक-2, सेक्टर -11, नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962

विज्ञापन + 91 9899815169

प्रसार + 91 9013478398

फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है। बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा।

किसान आंदोलन

ज़मीन जाएगी तो नक्सली बनेंगे

किसान जागा तो नेताओं की भी नींद टूटी, लेकिन इस बार किसान किसी नेता के भरोसे नहीं हैं। वे जान देने को तैयार हैं, लेकिन ज़मीन नहीं। 114 साल पुराने भू-अधिग्रहण क़ानून को बदलने की मांग है। संसद में बैठे नेताओं को सोचना होगा। जब एक प्रदेश के किसान दिल्ली आते हैं तो वह पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है। अगर पूरे देश के किसान एक मंच पर, दिल्ली आ जाएं तो फिर क्या होगा?

► सवा सौ साल पुराना है भूमि अधिग्रहण क़ानून

► अंग्रेजों का बनाया क़ानून किसान विरोधी है

► ज़मीन के बदले चाहते हैं उचित मुआवज़ा

► खेती की ज़मीन का न हो अधिग्रहण



शशि शेखर

किसान बुद्ध सिंह की उत्तेजना बोलते वक़्त अचानक बढ़ जाती है। कहते हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी धरती मां को बिकने नहीं देंगे। असल में उत्तर प्रदेश सरकार बुद्ध सिंह की 20 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है, हाईटेक सिटी बनाने के लिए। बुद्ध सिंह के साथ आए कई किसान यह भी कह रहे थे कि अगर सरकार ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्ज़ा करती है तो किसानों के पास नक्सली बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह कहानी अकेले बुद्ध सिंह की नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज़ारों-लाखों किसानों की है। वैसे यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर पहले ही किसानों की ज़मीन सरकार ले चुकी है। वह भी बहुत ही कम दर पर। इसी का नतीजा था कि जिस दिन देश आज़ादी का ज़ंशन मना रहा था, उस दिन अलीगढ़ और मथुरा की सड़कों पर पुलिस किसानों पर लाठियां बरसा रही थी। इतना ही नहीं, सुरक्षाबलों की गोली से किसानों की मौत भी हुई। यमुना एक्सप्रेस-वे और हाईटेक सिटी बनाने के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में अगस्त के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हज़ारों किसानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आकर अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। ये किसान केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण क़ानून का विरोध कर रहे थे, साथ ही इस परियोजना के लिए अधिग्रहीत ज़मीन का मुआवज़ा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ज़्यादातर किसानों का कहना था कि वे इस तरह की किसी भी परियोजना के लिए अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। वैसे तो इस रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह कर रहे थे, लेकिन रैली को समर्थन देने के लिए लगभग समूचा

विपक्ष मंच पर मौजूद था। भाजपा, लोजपा, जद(यू), सीपीआई(एम) एवं सीपीआई के नेता भी एक सुर से केंद्र सरकार को कोस रहे थे। हालांकि जंतर-मंतर पर हुई इस रैली में कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी अलीगढ़ में आंदोलन कर रहे किसानों से मिल चुके थे। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया था। फिर भी दिल्ली की रैली में कांग्रेस किसानों के समर्थन में नहीं आई। दिलचस्प यह रहा कि रैली के दिन ही सुबह-सुबह राहुल गांधी किसानों के एक दल के साथ प्रधानमंत्री से मिल आए और उन्होंने उनसे भूमि अधिग्रहण क़ानून में बदलाव का वादा ले लिया। दोपहर तक राहुल गांधी उड़ीसा के आदिवासियों के पास पहुंच चुके थे। दरअसल किसान आंदोलन की बढ़ती सरगमीं देखकर इन नेताओं को यह एहसास हो गया था कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता यानी उत्तर प्रदेश में सियासी फ़ायदा उठाने का वक़्त आ गया है। अजित सिंह की राजनीति को मिलने वाला ऑक्सीजन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा से ही आता है, इसलिए उनका इस आंदोलन में कूदना स्वाभाविक था, लेकिन विपक्षी पार्टियों से लेकर राहुल गांधी तक का किसान आंदोलन में दिलचस्पी दिखाना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। अगले दो महीनों



आज़ाद देश का गुलाम क़ानून

आज़ादी के 63 सालों बाद भी देश में कई ऐसे क़ानून हैं, जो बेजह की समस्याएं पैदा करते रहते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण, मुआवज़े और किसान आंदोलन से जुड़ा है। अलीगढ़, मथुरा और आगरा में किसानों के आंदोलन से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क़ानून की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत का भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 में अंग्रेजों ने बनाया था और यही क़ानून आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने यह क़ानून इस उद्देश्य से बनाया था कि रेल लाइनें बिछाई जा सकें। तब सड़क और हवाई अड्डे बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। अगर कोई किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता था तो अंग्रेज सरकार इस क़ानून के ज़रिए जबरन ज़मीन अधिग्रहीत कर लेती थी। यही स्थिति आज भी देश में है। अब सवाल है कि क्या गुलाम और आज़ाद देश की स्थितियों में कोई फ़र्क़ नहीं आया है? अगर आया है तो फिर इस क़ानून को क्यों नहीं बदला गया, जो देश के सबसे कमज़ोर तबके यानी किसानों के हित और अहित से जुड़ा है? पिछले कुछ सालों में भूमि अधिग्रहण के जितने विवादास्पद मामले सामने आए हैं, उनमें कहीं न कहीं सरकार द्वारा किसानों से जबरन भूमि लिए जाने की घटना शामिल थी। चाहे वह सेज का मामला हो या नंदीगाम या सिंगुर का। आखिर सरकार ऐसी ज़मीन पर उद्योग आदि लगाती ही क्यों है, जिस पर खेती होती है, जो किसान के जीने का सहारा होती है। क्या वास्तव में ऐसी परियोजनाओं की ज़रूरत आम आदमी को है? उदाहरण के लिए अलीगढ़ और मथुरा के किसानों को यमुना एक्सप्रेस-वे से क्या फ़ायदा होगा? क्या ये किसान इस सड़क पर पैसा देकर यात्रा करना पसंद करेंगे? वह भी तब, जब पहले से ही इस क्षेत्र में कई अच्छी सड़कें हैं। नर्मदा पर बांध बनाने के नाम पर जिन लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था, आज तक उनका पुनर्वास नहीं हो सका। ऐसे में केंद्र सरकार को संवेदनशील रवैया अपनावते हुए इस सवा सौ साल पुराने क़ानून में परिवर्तन करने चाहिए। ऐसे परिवर्तन, जो आम आदमी, किसानों के हित में हों।

के भीतर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुट गए।

लेकिन किसानों का रुख़ इन नेताओं से अलग था। नेता जहां किसान आंदोलन की आड़ में अपना-अपना राजनीतिक लाभ देख रहे थे, वहीं मथुरा से आए एक किसान करण सिंह एवं उनके साथियों ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि अब चाहे जयंत चौधरी, अजित सिंह आवे या न आवे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। यानी किसानों को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके नेता जब कभी आवाज़ उठाते भी हैं तो सिर्फ़ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। किसान यह समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। चौथी दुनिया ने जब किसानों से यह पूछा कि आप लोग आखिर किस आधार पर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं तो उनका कहना था कि सरकार हमसे कम कीमत पर ज़मीन लेकर उसे उद्योगपतियों को ऊंचे दामों पर बेचेगी और फिर उद्योगपति उसी ज़मीन को करोड़ों में बेचकर मुनाफ़ा कमाएंगे। इस सबके बीच हमें क्या मिलेगा? अगर उद्योगपतियों को ज़मीन चाहिए तो वे सीधे हमसे आकर बात करें, हम अपनी ज़मीन का रेट खुद तय करेंगे। कुछ किसान भी थे, जो हाईटेक सिटी

के नाम पर एक इंच ज़मीन भी देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे ही एक किसान सुल्तान सिंह कहते हैं कि हमारी ज़मीन (आगरा-मथुरा क्षेत्र) देश की सबसे उपजाऊ ज़मीन है, खाद्यान्न का भंडार है। फिर ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण सरकार क्यों करना चाहती है? ऐसी जगह पर हाईटेक सिटी या अन्य उद्योग लगाए जाते, जहां की ज़मीन बंजर है। ज़ाहिर है, सुल्तान सिंह का यह सवाल न सिर्फ़ वाजिब है, बल्कि सरकार की नीयत पर भी संदेह पैदा करता है।

अब सरकार की नीयत चाहे जो भी हो, लेकिन किसान इस बार शांत होकर चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। बूढ़े से लेकर जवान तक, हर किसान मोर्चा लेने को तैयार है। वे धमकी भी दे रहे हैं दिल्ली वालों को। युवा किसान सुशील कुमार कहते हैं कि अगर हमारी मांगें न मानी गईं तो हम दिल्ली का भोजन, पानी, दूध, पेट्रोल एवं डीजल बंद कर देंगे। 70 वर्षीय किसान कान्हा कहते हैं कि वह मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन देने के लिए नहीं। ज़ाहिर है, कान्हा जैसे बूढ़े किसान का जज़्बा युवा किसानों में जोश भरने का काम कर रहा है। रैली में आए किसानों का एक दल ऐसा भी था, जो ज़मीन न देने की बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन उचित मुआवज़े की मांग पर ज़रूर टिका था। गज़रौला से आए किसान महिपाल सिंह का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी ज़मीन का मुआवज़ा नोएडा में दिए गए मुआवज़े के बराबर दे। दरअसल नोएडा में अधिग्रहीत की गई प्रति वर्ग मीटर ज़मीन के बदले 900 रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा दिया गया था। जबकि अभी जिन ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, उनका मुआवज़ा महज़ 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आसपास है। हालांकि शुरुआती आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और अलीगढ़ के किसानों को प्रति वर्ग मीटर 490 रुपये के स्थान पर 570 रुपये मुआवज़ा देने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को यह मंज़ूर नहीं है। उन्हें नोएडा के बराबर ही मुआवज़ा चाहिए। ज़ाहिर है, नीति निर्माताओं को भविष्य के गर्भ में छुपे संदेश को अभी ही पढ़ लेना होगा। किसानों की समस्याएं अभी ही सुलझा लेनी होंगी, अन्यथा आने वाला वक़्त कितना भयावह हो सकता है, इसकी सिर्फ़ कल्पना ही की जा सकती है।

shashishekhar@chaudhuniya.com



सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय



जब अच्छी पैदावार न हुई तो बीज विक्रेता से शिकायत की गई. विक्रेता ने यह कहकर पल्लू झाड़ लिया कि कंपनी के सेल्समैन द्वारा दिलाए गए भरोसे के आधार पर ही उसने अच्छी पैदावार की बात कही थी.

दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

नकली बीज की मार से बेहाल किसान

पसीने की जगह माथे से रिसने लगा खून



राजेश सिन्हा

अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के माथे से इस बार पसीने की शक्ल में खून बह रहा है. दरअसल नकली बीजों का काला कारोबार करने वालों ने किसानों को असली बीज के पैकेट में मक्के के नकली बीज बेच दिए, जिसके कारण पैदावार सही नहीं हुई. महाजनों से सूद पर पैसा

लेकर किसानों ने मक्का इस ख्याल से बोया था कि अच्छी पैदावार होने पर कर्ज अदा हो जाएगा और घर की दूसरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन उनका सपना धरा का धरा रह गया. हालांकि यह इस तरह का पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी किसान बीज के मामले में ठगी का शिकार हो चुके हैं. धरना-प्रदर्शन करके रोष भी प्रकट किया गया. ज़िला प्रशासन द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, लेकिन वक़्त के साथ ठगी का मामला दफ़न होकर रह गया. एक बार फिर किसान ठगी का शिकार हुए हैं. हाय-तैबा तो मच रही है, लेकिन लगता नहीं कि इस बार भी ज़िला प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा.

मक्का का गढ़ कहे जाने वाले फरकिया अर्थात खगड़िया ज़िले के बेलदौर, परबत्ता, अलौली, मानसी, चौथम एवं खगड़िया मुख्यालय से सटे रहीमपुर कुम्हरचक्की सहित अनेक गांवों के किसान मक्के की अच्छी पैदावार न होने के कारण माथा पीट रहे हैं. परबत्ता प्रखंड के किसान जयराम यादव का कहना है कि मक्के के सरकारी बीज सही समय पर न मिलने के कारण हमने निजी कंपनियों के बीज ख़रीदे. सौ रुपये किलो के भाव से प्रोएग्रो कंपनी का बीज ख़रीदा गया, लेकिन पैदावार न के बराबर होने से अब पीछों का उपयोग

बीज तो असली समझ कर ही ख़रीदे थे और बदले में अच्छी कीमत भी दी थी, लेकिन कोशी और मिथिला इलाके के भोले-भाले किसानों को यह नहीं पता था कि सौदागर उनके हाथ धोखा बेच रहा है. नतीजा यह कि फ़सल उम्मीद के ख़िलाफ़ चली गई और किसान जहां के तहां रह गए. नक्कालों से कब और कैसे निबटेगी सरकार?

मवेशियों के चारे के लिए किया जा रहा है. इसी प्रखंड के चर्चित किसान नेपाली मंडल, राजेश सदा, सुबोध साह एवं लाली झा ने कहा कि वे लोग कई बार सरकारी बीज पाने की चाहत में ठगे गए हैं. समय पर सरकारी बीज उपलब्ध न होने से बुआई नहीं की जा सकी. इसलिए मजबूर होकर प्रोएग्रो कंपनी का बीज ख़रीदा था. बीज विक्रेता ने अच्छी पैदावार होने का भरोसा दिलाया था. जब अच्छी पैदावार न हुई तो बीज विक्रेता से शिकायत की गई. विक्रेता ने यह कहकर पल्लू झाड़ लिया कि कंपनी के सेल्समैन द्वारा दिलाए गए भरोसे के आधार पर ही उसने अच्छी पैदावार की बात कही थी. इस संदर्भ में कंपनी से शिकायत की गई है. अगर कंपनी द्वारा इस संदर्भ में कोई पहल की जाएगी तो किसानों को सूचना दी जाएगी.

खगड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित शेखपुरा गांव के किसान जवाहर महतो का कहना है कि पहले लोग मक्के की फ़सल होने के बाद कुछ अच्छे दानों को बीज के लिए रख लेते थे. बुआई के समय इसी घरेलू बीज का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती थी. काफी मेहनत के बाद भी अधिक से अधिक प्रति बीघा साठ मन अनाज होता था. इसी बीघ करगिल-900 एम नामक मक्का बीज बाज़ार में आया. जब किसानों ने इस बीज का प्रयोग किया तो प्रति बीघा सौ से एक सौ बीस मन मक्का हुआ. इस परिणाम के बाद अधिकतर किसानों द्वारा इसी बीज का उपयोग होने लगा. अच्छी पैदावार होने के कारण किसानों का करगिल-900 एम के प्रति विश्वास जम गया. यह देखकर नकली

बीजों का कारोबार करने वालों ने असली पैकेट में नकली बीज बाज़ार में उतार दिए. नतीजतन किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा. किसानों का करगिल-900 एम के प्रति विश्वास कम होने लगा, तभी बाज़ार में प्रोएग्रो का बीज आ गया. इस बीज का प्रयोग करने पर अच्छा नतीजा सामने आने लगा, लेकिन इस बार प्रोएग्रो का बीज प्रयोग करना किसानों के लिए घातक साबित हुआ. कई किसानों ने इस बार अच्छी पैदावार होने पर बेटी की शादी तो कई ने घर बनाने के अरमान पाल रखे थे, लेकिन सबके अरमानों पर पानी फिर गया. जवाहर कहते हैं कि उन्होंने बुआई के वक़्त महाजन से यह सोचकर कर्ज लिया था कि अच्छी पैदावार होने के बाद वह अपनी बेटी की शादी आसानी से कर सकेंगे. एक अधिकृत बीज विक्रेता का कहना है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि बाज़ार में उसकी साख़ पर बट्टा लगे. नकली बीज का कारोबार करने वाले लोग कंपनी को बदनाम करते हैं. कुछ अनाधिकृत विक्रेता नकली बीज का कारोबार करने वालों के साथ हो जाते हैं और किसान ठगी का शिकार होते हैं, जबकि प्रतिष्ठित कंपनियां बदनाम हो जाती हैं. नकली बीज का धंधा करने वाले एक कारोबारी ने बताया कि जिस कंपनी के बीज पर किसान अधिक भरोसा करने लगते हैं, उसी कंपनी के बैग में नकली बीज पैक कर बाज़ार में उतार दिए जाते हैं. किसान बड़े भरोसे के साथ कंपनी का बीज ख़रीदते हैं और ठगे जाते हैं. ठगी का शिकार होने के बाद जब किसान दूसरी कंपनी के बीज पर भरोसा करने लगते हैं तो फिर उसका भी नकली बीज बाज़ार में उतार दिया

जाता है.

इस कारोबारी के मुताबिक़, बाज़ार में मक्का अमूमन चार से पांच रुपये किलो मिलता है. मकई के दाने को चार से पांच रुपये प्रति किलो की दर से ख़रीद लिया जाता है और उसे असली बीज की तरह रंगने के बाद चर्चित कंपनी के बैग में भरकर बाज़ार में उतार दिया जाता है. किसानों द्वारा असली और नकली बीज पहचानना बहुत मुश्किल है. इसी का फ़ायदा उठाते हुए धंधेबाज़ों द्वारा किसानों को ठगी का शिकार बनाया जाता है. बीज विक्रेता अगर चाहें तो किसानों को ठगे जाने से बचा सकते हैं, लेकिन अधिक मुनाफ़े की चाहत में विक्रेताओं द्वारा किसानों को गुमराह किया जाता है. ज़िला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र नाथ का कहना है कि यह काफी हद तक सही है कि समय पर किसानों को सरकारी बीज उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण उन्हें निजी कंपनियों के बीजों का उपयोग करना पड़ता है. नकली बीजों का धंधा करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई की जाती है. अगर इस बार भी किसानों द्वारा शिकायत की जाएगी तो निश्चित तौर पर आरोपी दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसानों को भी चाहिए कि वे अधिकृत बीज विक्रेताओं से ही बीज की ख़रीददारी करें और कैशमेमो भी लें.

ठगी का शिकार होने वाले किसानों की शिकायत पर नकली बीज विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा, यह तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन ज़िला प्रशासन को चाहिए कि वह किसानों को न केवल सही समय पर सरकारी बीज उपलब्ध कराए, बल्कि नकली बीज का कारोबार करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई भी करे, जिससे भविष्य में किसान ठगी का शिकार न होने पाएं.

feedback@chauthidunya.com

ईसा मसीह की टूटी मूर्ति, अधजले धर्मग्रंथ, जले घर, घर से बाहर झांकता एक मासूम चेहरा और तिलक-चंदन लगाकर लोगों को फिर से हिंदू बनाने का आयोजन. यह कहानी वे तस्वीरें ख़ुद बयां करती हैं, जो कंधमाल में अल्पसंख्यक ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा के दौरान या उसके बाद ली गई हैं. सांप्रदायिक हिंसा से उपजे ज़ख़म अभी भी कंधमाल के अल्पसंख्यक ईसाइयों के दिलोदिमाग़ पर छाए हुए हैं. न्याय मिलने की उम्मीद कम ज़रूर हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है. यही वजह है कि 2007 में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा के मामले पर राष्ट्रीय सदभावना फोरम ने 22 से 24 अगस्त तक दिल्ली में नेशनल पीपुल्स ट्रिब्यूनल का आयोजन किया. इस मौक़े पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन मशहूर शायर जावेद

कंधमाल हिंसा

यह आग कब और कैसे बुझेगी?



अख़्तर ने किया.

राष्ट्रीय दलित आंदोलन के महासचिव डॉ. आर प्रसाद कहते हैं कि लोग कंधमाल हिंसा को पुरानी बात बताते हैं, लेकिन यह सच नहीं है. कंधमाल हिंसा के जख़म अभी भी लोगों के जेहन में ताज़ा हैं. प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत शिविर हटा लिए हैं, लेकिन हिंसा प्रभावित इलाकों के जनजातीय लोग अभी भी राहत शिविरों जैसे हालात में हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, अगस्त 2007 से दिसंबर 2008 के बीच अकेले कंधमाल में 600 गांव सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आए. करीब 6000 घर लूटे या जलाए गए. 54 हज़ार लोग बेघर हो गए. सरकारी आंकड़े 38 लोगों के मारे जाने की बात कहते हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठन यह संख्या 100 से ज़्यादा बताते हैं. 295 से ज़्यादा छोटे-बड़े चर्चों एवं अन्य पूजास्थलों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

ट्रिब्यूनल में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए पी शाह, राजेंद्र सच्चर, एडमिरल विष्णु भागवत, महेश भट्ट, वृंदा गोवर,

ट्रिब्यूनल की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं

- पूरे मामले की जांच हो और अपने कर्तव्य को निभाने में असफल पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित किया जाए.
- हिंदूवादी ताक़तों द्वारा घृणा और विभाजनकारी कार्यक्रमों जैसे कलश यात्रा, श्रद्धांजलि सभा आदि को रोक़ा जाए.
- इंडियन पेनल कोड की धारा 153 ए और बी को सख्ती से लागू किया जाए.
- एक स्पेशल इन्वेस्टीगेटिव टीम का गठन करके सभी दर्ज एफआईआर की जांच कराई जाए और फिर से एक बार एफआईआर दर्ज कराई जाए.
- विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए, जिस पर पीड़ित समुदाय का भरोसा हो.
- ट्रायल के दौरान और उसके बाद तक राज्य सरकार पीड़ितों और गवाहों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराए.
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अनुशंसा के आधार पर जन अपराध के संबंध में एक नया विधेयक बनाया जाए.
- हिंसा के शिकार बच्चों की शैक्षणिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए. उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा बालिका विद्यालय और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाए.
- हिंसा पीड़ितों के जीवनयापन के लिए व्यवस्था की जाए. मसलन मनरेगा, पी एम स्कूल ट्रेनिंग आदि योजनाओं में उन्हें विशेष स्थान दिया जाए.
- दलित ईसाइयों को वे सभी गैर संवैधानिक सुविधाएं दी जाएं, जो अन्य दलितों को मिलती हैं.
- पुलिस-प्रशासन के लिए बने ट्रेनिंग सेंटर्स में धर्म निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षा और अधिकारों के बारे में अधिकारियों को बताया जाए.
- राज्य और जिला प्रशासन को तत्काल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसाएं लागू करनी चाहिए, जो आयोग ने जनवरी, अप्रैल एवं सितंबर 2008 में दी गई अपनी रिपोर्ट में की हैं.

इस तरह की हिंसा के लिए मैं उन सभी लोगों को दोषी मानता हूं, जो मास किलिंग को जायज़ ठहराते हैं. आखिर कोई कैसे मास किलिंग को जायज़ मान सकता है?

महेश भट्ट, मशहूर फिल्मकार



हर्ष मंदर एवं उर्वशी जैसे लोग शामिल थे. ट्रिब्यूनल के सामने कंधमाल हिंसा की 43 घटनाओं की गवाही भी हुई. ट्रिब्यूनल ने इस हिंसा के संबंध में पुलिस, प्रशासन एवं मीडिया की भूमिका, दलित-आदिवासियों के अधिकार, बच्चों पर इस हिंसा का असर जैसे मुद्दों पर भी विचार किया. तमाम चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है. पुनर्वास की गति भी मंद है. ट्रिब्यूनल में शामिल ज्यूरी का मानना था कि सांप्रदायिक ताक़तों ने धर्मांतरण के मुद्दे को राजनैतिक रूप दे दिया था. ज्यूरी ने यह भी साफ़ किया कि कंधमाल में हिंसा के दौरान ज़िला और राज्य प्रशासन ने किसी भी मौक़े पर लोगों की धार्मिक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की. सरकार पीड़ितों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने में नाकाम रही.

शशि शेखर
shashishekhhar@chauthidunya.com



देश की राजधानी दिल्ली को आज छोटा भारत कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश के लोग यहां रहते हैं. गरीबी और बेरोज़गारी से ग्रस्त लोगों के लिए दिल्ली आखिरी आसरा है.

दिल्ली की प्रवासी आबादी जाएं तो जाएं कहां!



आदित्य पूजन

फैं किट्टियों में मज़दूरी करके, सड़कों पर रक्शा-ऑटो एवं छोटी-मोटी दुकान चलाकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे इन लोगों का भविष्य कैसे ही अनिश्चितता के भंवर में उलझा हुआ है, रही-सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है. दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यहां हर आय वर्ग के लोगों के लिए रहने की संभावना मौजूद है, लेकिन अब यह मिथक टूटता जा रहा है. आज इन सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर जाएं तो जाएं कहां? 32 साल का दिलीप मंडल दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक झुग्गी-झोपड़ी कालोनी में रहता है. मूलतः बिहार के पूर्णिया ज़िले का निवासी दिलीप पिछले सात साल से राजधानी में रहकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है. वह एक एक्सपोर्ट हाउस में सिक्युरिटी गार्ड का काम करता है. महज 3500 रुपये मासिक वेतन के सहारे वह अपने, पत्नी और पांच बच्चों के लिए दो जून की रोटी का इंतज़ाम करता है. हालांकि इतने पैसों में वह दो साल पहले तक बड़े मजे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था. पत्नी और बच्चे भी उसके साथ ही रहते थे. पत्नी आसपास के घरों में काम करके थोड़ा-बहुत कमा लेती थी और बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाते थे. दिन भर कड़ी मेहनत के बाद दिलीप जब शाम को घर लौटता तो बच्चों के हंसते चेहरों को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी, लेकिन सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई ने उसकी खुशहाल ज़िंदगी में मानो ब्रेक लगा दिए. रोजमर्रा के ज़रूरत की चीजों की बढ़ती कीमतों से बेहाल दिलीप ने पहले तो बच्चों का स्कूल जाना बंद कराया और फिर परिवार को अपने गांव भेज दिया. अब वहां जाकर उसके बच्चे पढ़ते नहीं, पत्नी खेतों में मज़दूरी करती है और वह यहां अकेले रहने को मजबूर है. ज़िंदगी को लेकर उसके तमाम सपने आज काफूर हो चुके हैं. रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी ज़रूरतों का खर्च पिछले दो सालों में करीब दोगुना हो चुका है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी. दिलीप अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहता है, ताकि वे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन वह करे भी तो क्या? सरकार की नीतियों में गरीबों की चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन चर्चा करने से किसी का पेट नहीं भरता.

देश की राजधानी दिल्ली को आज छोटा भारत कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश के लोग यहां रहते हैं. गरीबी और बेरोज़गारी से ग्रस्त लोगों के लिए दिल्ली आखिरी आसरा है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल दो से तीन लाख लोग रोजी-रोटी की तलाश में राजधानी आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं. राजधानी की कुल आबादी का तक़रीबन 40 प्रतिशत इन्हीं प्रवासियों का है, जो सुनहरे भविष्य के सपने लिए अपना घर-बार छोड़कर यहां आते हैं, लेकिन दिल्ली की यह प्रवासी आबादी बढ़ती महंगाई से हलकान है. दिल्ली के मूल वाशिंग्टन की तुलना में इनकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं और समस्याएं भी, लेकिन जीवन की आधारभूत ज़रूरतों की बढ़ती कीमतों से आबादी के इस तबके के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से आए सुरेंद्र का कहना है कि कीमतों में वृद्धि के चलते जीना दूधर हो चुका है. सरकार हमें प्रलोभन और आश्वासन तो ढेर सारे देती है, लेकिन जब बच्चा दूध के लिए घर में रोता है, तो सारी बातें भ्रमा मज़ाक लगने लगती हैं.

बिहार के ही मधुबनी ज़िले का निवासी आशानंद भी पांच सालों से दिल्ली में रह रहा है. वह कपड़ों पर कढ़ाई का काम करता है. करीब एक साल पहले तक उसके पास एक दर्जन मशीनें थीं, अच्छी-खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन आज हालत यह है कि उसके पास केवल एक मशीन बची है. महंगाई के चलते जब ज़रूरत की चीजों के

लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसे एक-एक करके सारी मशीनें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा. अब वह अकेला दिन भर अपनी एक मशीन पर लगा रहता है और किसी तरह अपना और चार बच्चों का पेट भरता है. आशानंद बताता है कि पहले इतनी कमाई हो जाती थी कि रोजाना की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थीं और गाहे-बगाहे परिवार के साथ घूमना-फिरना भी हो जाता था, लेकिन अब तो हालत यह है कि स्कूल की फीस देने के लिए भी सोचना पड़ता है. कमाई घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है. सवाल यह है कि हम जैसे गरीब जाएं तो कहां जाएं, क्या करें. अपना घर-बार छोड़कर इस उम्मीद के साथ दिल्ली आए थे कि ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी हो जाएगी, लेकिन बढ़ती महंगाई ने हमारे भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि महंगाई ने पूरे देश में गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन राजधानी की इस प्रवासी आबादी के सामने मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं. घर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर जीने को विवश इन लोगों का मासिक खर्च कम होने की कोई गुंजाइश नहीं. घर का किराया, खाने-पीने का सामान एवं बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि खर्चों में कमी नहीं की जा सकती. दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह लगातार बढ़ती जा रही है, उससे इनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन न तो सरकार और न ही स्वयंसेवी संस्थाओं को इसकी कोई चिंता है. सरकारी गोदामों में रखा अनाज सड़ रहा है, उसे जलाया जा रहा है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री उसे

गरीबों के बीच बांटने से इंकार करते हैं. गरीब करें तो क्या करें? सरकार की नीतियां मध्य और उच्च वर्गीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं. कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के लिए हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन प्रवासी लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा. यह हालत तब है, जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा जैसे राज्यों से आने वाले प्रवासी दिल्ली की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्वतंत्रता की 63वीं वर्षगांठ मना चुका भारत क्या वास्तव में स्वतंत्र है? इस साल 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद यही लगा कि हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे भले निकल रहा हो, लेकिन हम अभी भी तमाम तरह के बंधनों के साथ जीने को मजबूर हैं. कश्मिर की समस्या जस की तस बनी हुई है, नक्सलवाद धीरे-धीरे पूरे देश में अपने पैर फैलाता जा रहा है, आर्थिक विषमताओं से सामाजिक ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने का खतरा अभी भी मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह कि बढ़ती महंगाई ने समाज के निम्न तबके के सामने भुखमरी के हालात पैदा कर दिए हैं. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इन सभी समस्याओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आश्वासन ज़रूर दिया, लेकिन ऐसे आश्वासन तो हम हर साल सुनते आ रहे हैं. कमतोड़ महंगाई से गरीबों के लिए दो जून की रोटी का उपाय करना लगातार दूधर होता जा रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में प्रवासी आबादी के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो रही है.

aditya@chauthiduniya.com

पत्रकार की हत्या को दुर्घटना साबित करने की कोशिश



शिवदास

फ़र्जी मुठभेड़ों में दर्जनों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने और फ़र्जी मुकदमों में जेल भेजने वाली सोनभद्र पुलिस इन दिनों एक पत्रकार की हत्या को दुर्घटना साबित करने में जुटी है. इस कार्रवाई से क्षुब्ध पत्रकारों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मालूम हो कि बीती

हथियार से गंभीर चार किए गए. उसके पेट में तीन चोटों के अलावा हाथ में भी एक गंभीर घाव था. कमलेश के दाहिने कान के पिछले हिस्से के पास की हड्डी टूटने एवं बाएं कान के पास गंभीर चोट लगने की बात भी सामने आई है. उक्त चोटों के आधार पर ही जानकार कमलेश की हत्या होने की बात कह रहे हैं. वहीं पुलिस कमलेश के नशे में धुत होने और उसकी मौत दुर्घटना के कारण होने की बात कह रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एल्कोहल का अंश नहीं मिला है.

पुलिसिया कार्रवाई से जनपद के पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा है. कमलेश की हत्या की जांच सीबीसीआईडी से कराने,

ओबरा में प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों को गिरफ़्तार भी किया गया. ज़िला प्रशासन कमलेश हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच कराने से पीछे भाग रहा है. हालांकि मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अनपरा को सौंप दी गई है, लेकिन पिपरी थाने के दारोगा मुरारीलाल को मलाईदार ओबरा थाने में स्थानांतरित कर दिया गया.

जनपद पुलिस पत्रकारों एवं उनके परिजनों के मामले में हमेशा उदासीनता बरतती है. पत्रकार कमलेश के बड़े भाई लाला की एक साल पूर्व हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की, न मामले का पर्दाफाश हुआ.

को धमकी मिल रही थी. इसके बावजूद पुलिस ने उदासीनता बरती. पत्रकार एम ए खान एवं राजेंद्र द्विवेदी आदि के मामलों में भी पुलिस का रवैया काफी खराब रहा. बभनी में 2002 में हुए तिहरे हत्याकांड का पर्दाफाश भी अभी तक पुलिस नहीं कर सकी है. जनपद में खनन माफ़ियाओं एवं अपराधियों की लगातार मौजूदगी के चलते मीडियाकर्मियों पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है.

जर्नलिस्ट यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) के संयोजक शहनवाज आलम ने कहा कि खनन बहुल एवं नक्सल प्रभावित इलाकों में पत्रकारों पर हो रहे हमले लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की साज़िश है. संगठन की प्रदेश कमेटी के सदस्य एवं सोनभद्र प्रभारी शिवदास और अन्य साथी कमलेश हत्याकांड की जांच कर रहे हैं. जांच रिपोर्ट जल्द ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र एवं राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी. भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक मिथिलेश द्विवेदी ने कहा कि अगर कमलेश के हत्यारों को

जल्द से जल्द गिरफ़्तार नहीं किया गया तो संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा. उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़िलाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कमलेश के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने और पूर्वांचल प्रेस क्लब के ज़िलाध्यक्ष राम प्रसाद यादव, भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ के ज़िलाध्यक्ष चंद्रमणि शुक्ला एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ज़िलाध्यक्ष सुधाकर मिश्रा ने हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी से कराने की मांग की है.

feedback@chauthiduniya.com



जनपद पुलिस पत्रकारों एवं उनके परिजनों के मामले में हमेशा उदासीनता बरतती है. पत्रकार कमलेश के बड़े भाई लाला की एक साल पूर्व हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की, न मामले का पर्दाफाश हुआ.

परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने और बभनी एवं पिपरी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्रकारों ने जनपद के बभनी, दुद्धी, विंढमगंज, ओबरा, चोपन, अनपरा, राबट्सगंज एवं घोरावाल आदि जगहों पर धरना-प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला. बीते छह अगस्त को

लाला की मौत तालाब में डूबने से हुई है, कहकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया. जबकि इस मामले में अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था. अपने बड़े भाई लाला और कौंगा हत्याकांड (दो वर्ष पूर्व कौंगा गांव का एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी) का पर्दाफाश करने के कारण कमलेश



शुरू से ही इस घोटाले को लेकर गोगोई घबराहट का परिचय दे रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि उनका कोई मंत्री उत्तर कछार के घोटाले में शामिल नहीं है.

दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

घोटाले के घेरे में गोगोई सरकार



दिनकर कुमार

जब से असम के उत्तर कछार पर्वतीय स्वशासी ज़िला परिषद में एक हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला उजागर हुआ है, तबसे राज्य की तरुण गोगोई सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है. इस घोटाले से स्पष्ट हो गया है कि असम के शासन तंत्र में भ्रष्टाचार किस हद तक प्रभावी हो चुका है. इस घोटाले का भी पता न चल पाता, अगर उग्रवादी संगठन डीएचडी के कुछ सदस्य एक करोड़ रुपये की नगदी के साथ रंगे हाथ पकड़े नहीं जाते. शुरू-शुरू में ऐसा लगा कि स्वशासी ज़िला परिषद के कुछ अधिकारियों एवं उग्रवादियों की साठगांठ से यह घोटाला हुआ, जिसके तहत विकास मद की राशि का दुरुपयोग किया गया. लेकिन जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने पहले मामले के रूप में इस घोटाले की जांच शुरू की, तब स्पष्ट

तरुण गोगोई की व्यक्तिगत छवि अब तक जनता की नज़रों में स्वच्छ और ईमानदार नेता के रूप में रही है. अभी भी उनके खिलाफ सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है. मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल में उत्तर कछार का घोटाला सामने आने पर भी उनकी ईमानदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया गया.

होने लगा कि इस घोटाले के तार गोगोई मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों और एक पूर्व राज्यपाल से भी जुड़े हुए थे. एक राष्ट्रीय अंग्रेजी साप्ताहिक में जब इस घोटाले से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो असम की राजनीति में भूचाल आ गया. जब विपक्ष ने इस मामले को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया तो मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अखबार की रिपोर्ट को गलत बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फ़ायदे के लिए बिना वजह शोरशराबा कर रहा है. विपक्ष मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, जिसे गोगोई बराबर ठुकराते रहे, लेकिन जब केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने मुख्यमंत्री गोगोई को दिल्ली बुलाकर मामले की सीबीआई जांच

कराने के लिए कहा, तब गोगोई को मजबूरी में जांच का आदेश देना पड़ा. इससे सवाल पैदा होता है कि केंद्र के दबाव के बावजूद गोगोई सरकार सीबीआई जांच टालने की कोशिश क्यों कर रही थी? क्या सरकार को इस बात का डर था कि सीबीआई जांच होने पर कई ताकतवर मंत्री बेनकाब हो सकते थे? शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने सीबीआई को समूचे घोटाले की जांच करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उत्तर कछार स्वशासी ज़िला परिषद के केवल पांच विभागों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच का दायित्व सौंपा. गोगोई सरकार के इस रवैये की वजह से असम की जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सरकार की भूमिका को लेकर संदेह पैदा हुआ है. इसी बीच एक गैर सरकारी संगठन कृषक मुक्ति संग्राम परिषद के नेता अखिल गोगोई ने गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कुछ प्रमाण पेश करते हुए गोगोई मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्वकर्मा पर आरोप लगाया कि घोटाले की रकम से उन्होंने 40 लाख रुपये की दो कारों खरीदी हैं. पुरी में एक अतिथिगृह बनाया है, जिसकी कीमत बीस करोड़ रुपये है और करोड़ों रुपये की लागत से टीवी चैनल खोला है.

हालांकि गोगोई सरकार ने सीबीआई को घोटाले की जांच के लिए सीमित अधिकार दिए, इसके बावजूद ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी आर एच खान और उग्रवादी संगठन डीएचडी के अध्यक्ष निरंजन होजाई की गिरफ्तारी से सीबीआई कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने में सफल रही है. गोगोई मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने हवाला के ज़रिए राज्य के बाहर करोड़ों रुपये भेजे थे. गुवाहाटी में हवाला कारोबार करने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. आर एच खान के एक रिश्तेदार के घर से सीबीआई ने 14 करोड़ रुपये बरामद किए हैं. इस तरह के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि विकास मद की राशि मंत्रियों, अधिकारियों और उग्रवादियों ने आपस में बांट ली थी. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम से मिलकर अनुरोध किया कि उत्तर कछार के घोटाले की विस्तृत जांच कराई जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए. जब महंत ने चिदंबरम से मुलाकात की तो उसके अगले ही दिन महंत पर दबाव बनाने के लिए तरुण गोगोई ने घोषणा की कि वह महंत के कार्यकाल में हुए एलओसी घोटाले की जांच सीबीआई से कराएंगे. सवाल यह पैदा होता है कि एलओसी घोटाले के मुद्दे पर गोगोई पिछले नौ सालों से खामोश क्यों थे और अब वह अचानक उसकी जांच क्यों कराना चाहते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर कछार घोटाले को लेकर विपक्ष के तवरों से मुख्यमंत्री बौखल्ला गए हैं.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

तरुण गोगोई की व्यक्तिगत छवि अब तक जनता की नज़रों में स्वच्छ और ईमानदार नेता के रूप में रही है. अभी भी उनके खिलाफ सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है. मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल में उत्तर कछार का घोटाला सामने आने पर भी उनकी ईमानदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया गया.

अल्पसंख्यक वोट बैंक के प्रति कांग्रेस की चिरपरिचित कमज़ोरी के बावजूद जब इत्र के कारोबारी बदरुद्दीन अजमल ने सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत की तो गोगोई ने उनके साथ गठजोड़

से इंकार करके जनता के बीच एक ज़िम्मेदार नेता की छवि बनाई. पहले कार्यकाल के अंत में जब गोगोई ने कबूल किया कि वह शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं तो लोगों ने उनकी साफगोई की तारीफ़ की. एक ऐसे स्पष्टवादी मुख्यमंत्री को अब हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर रक्षामक मुद्दा अपनाना पड़ रहा है. इसे देखते हुए लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है.

शुरू से ही इस घोटाले को लेकर गोगोई घबराहट का परिचय दे रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि उनका कोई मंत्री उत्तर कछार के घोटाले में शामिल नहीं है. इस तरह की घोषणा के साथ ही गोगोई ने संकेत दे दिया कि वह बचाव की मुद्रा अपना रहे हैं. फिर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया और केंद्र के दबाव में जांच का आदेश दिया भी तो सीबीआई को सीमित अधिकार दिए. अगर गोगोई को पूरा विश्वास था कि उनके मंत्रिमंडल का कोई मंत्री घोटाले से जुड़ा नहीं है तो उन्हें फौरन सीबीआई जांच कराकर जनता का विश्वास जीत लेना चाहिए था. गोगोई की घबराहट से जनता के बीच यही संकेत गया है कि सरकार घोटाले में लिप्त मंत्रियों का बचाव करना चाहती है और कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाना चाहती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया....

महंगाई की बाढ़!

...धीरे

सांसद महोदय, जल्दी कुछ करो नहीं तो हम सब महंगाई की बाढ़ में बह जाउंगे.

अरे, तुम्हारा प्रतिनिधि हूं. जब तक इस बाढ़ में बह नहीं जाते, तब तक तो मुझ पर भरोसा रखो.

महंगाई से बचाने के लिए क्या किया है तुमने?

अरे, क्या नहीं किया? वाक आऊट, तोड़ फोड़, गाली गलौच से लेकर उपद्रव तक.. हर वो काम किया जो भारत की संसद में होता है.

हमने सरकार को पुष्टास दिलाया कि यदि अनाज, दूध, सब्जी, चीनी आदि चीजों के बढ़ते दामों की बरसात न रुकी तो स्थिति बहुत भयानक हो जायगी. अपनी सीमित आमदनी में लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पायेंगे. चारो तरफ असंतोष और हताशा से वातावरण दूषित हो जायगा. महामारी फैल जायगी. इस संकट से बचने के लिए सरकार के पास अब सिर्फ़ दो विकल्प हैं- महंगाई का स्तर कम करना या लोगों की आमदनी बढ़ाना.

हां, सरकार ने आमदनी बढ़ा दी.

किसकी?

हम सांसदों की!!

वाह, सरकार ने आमदनी बढ़ाने का विकल्प मान लिया?



एम जे अकबर

लंबे शोध और दुनिया भर में दूरदराज के इलाकों का दौरा करने के बाद संसद की सर्वदलीय समिति आखिर इस नतीजे पर पहुंच ही गई कि पूरी दुनिया में बारिश केवल भारत में ही होती है. समिति का यह काम काबिलेतारीफ है, क्योंकि उसे सिंगापुर, बाली, लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क, लंदन और बर्लिन के अलावा सप्ताहांत में हेलसिंकी जैसे दुर्गम इलाकों तक का भ्रमण करना पड़ा. समिति के इस नतीजे के पीछे के तर्क पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते. यदि दुनिया के दूसरे शहरों में भी बारिश होती तो उनकी सड़कें भी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बने टॉयलेट पेपर की तरह सिकुड़ कर रह जातीं. लंदन की सड़कें एक ही बारिश में चंद्रमा पर पहुंचने के रास्ते में तब्दील नहीं हो जातीं तो इसका मतलब यही है कि लंदन में बारिश नहीं होती.

तरस तो उन लोगों पर आता है, जो यह समझते हैं कि बरसात के मौसम में केवल दिल्ली की हालत ही खराब होती है. सड़क के रास्ते मसूरी से दिल्ली तक का सफर हमारे देश की लोकोतांत्रिक व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण है. इसकी शुरुआत भाजपा शासित उत्तराखंड से होती है, फिर यह बसपा की महारानी के इलाके से गुजरते हुए कांग्रेस के साम्राज्य में खत्म होता है. उत्तराखंड की सड़कों पर सफर करते हुए हमारी मांसपेशियों पर बल पड़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश आकर भयावह वेदना में तब्दील हो जाते हैं. दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही हमारे व्यक्तित्व में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि हम शायद स्वयं भी खुद को पहचान न पाएं. बेहतर तो यही है कि इस रास्ते का नाम फ्रायड के नाम पर रख दिया जाए.

हम भी बड़े अजीब लोग हैं. साल में नौ महीने हम मानसून के लिए दुआएं करते रहते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो हमें यह पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए. यह हालत ऐसी है, मानो बारिश का मौसम हर साल नहीं, बल्कि सदी में एक बार आता हो. इस पूरे माजरे को समझने के लिए आगाथा क्रिस्टी की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे यहां सड़कें बनाई ही इस तरह जाती हैं कि साल पूरा होने से पहले ही टूट जाएं. आखिर निर्माण के मुकाबले पुनर्निर्माण में कमाई की ज़्यादा गुंजाइश होती

है. सरकार ठेकेदारों के साथ मिली नहीं होती है, वह तो इनके हर कुकर्म में बराबर की साझीदार होती है. लूट का आधारभूत सिद्धांत यही है कि मिल-बांट कर खाना सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है. ठेकेदारों को क़ानून का भी कोई डर नहीं होता. वे जानते हैं कि हमारे देश में विद्वान वकीलों की ऐसी फ़ौज है, जो सत्यम कंपनी के रामलिंगम राजू तक को जमानत दिलवा सकती है. कुछ दिन पहले किसी ने यह सुझाव दिया था कि संसद को एक नया क़ानून बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले शख्स को बिना किसी अदालती कार्रवाई के ही जमानत मिल जाए. व्यापारी और उद्योगपति पूरी दुनिया में कमाई करते हैं. अंतर केवल लाभ और लोभ के बीच की दूरी का है. लाभ की एक सीमा होती है, धनलोलुपता की कोई सीमा नहीं होती. हमारे मुल्क में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका है, मुख्यधारा का एक अंग बन चुका है, जबकि ईमानदारी एक उपधारा में तब्दील हो चुकी है. यही कारण है कि हमारी व्यवस्था में आम जनता के गुस्से की धारा को बड़ी सफाई से बदल दिया जाता है. सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, फिर भी यह नहीं समझ पाते कि पाखंड किस तरह हमें धीरे-धीरे अपने प्रभाव में ले लेता है. व्यवस्था के पास जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो वह क्या करती है? वह सवाल को ही बदल देती है. ज़रा इस



का फ़ैसला पिछली सरकार ने लिया था. इसका क्या मतलब? पिछली सरकार ने क़ीमत से कई गुना ज़्यादा रकम ख़र्च कर कुछ सप्ताह के लिए ट्रेडमिल किराए पर लेने का फ़ैसला तो नहीं लिया था. अब हालत यह है कि ट्रेडमिल की जगह ट्रेडमिलियनायर पैदा हो रहे हैं. दस नौकरशाहों की एक समिति नियुक्त कर उसे खेलों के आयोजन के काम में लगा दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि वह तमाम मुश्किलों को दूर कर इसके सफल आयोजन को सुनिश्चित करेगी. लेकिन इस समिति का काम क्या है? आयोजन से जुड़े विभागों के बीच तालमेल को बढ़ाना, समय पर काम समाप्त को सुनिश्चित करना, काम की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना आदि. लम्बोलुवाब यह है कि इसे 45 दिनों में वह काम करने को कहा

गया है, जो पिछले 45 महीनों में हो जाना चाहिए था. सच्चाई यह है कि कैटरिंग के ठेके और स्पॉन्सरशिप के अलावा यह समिति कोई फ़ैसला नहीं ले सकती, क्योंकि सारे फ़ैसले पहले ही लिए जा चुके हैं. इसमें भी स्पॉन्सरशिप का मामला आमदनी से जुड़ा है, न कि ख़र्च से. सरकार की यह समिति एक काम बखूबी कर सकती है और वह है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायोजकों को दोबारा राष्ट्रमंडल खेलों के साथ जोड़ना. लेकिन असली सवाल यह नहीं है. भारत के लोग राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन के खिलाफ़ नहीं हैं. वे इसमें चल रहे भ्रष्टाचार के खेल के खिलाफ़ हैं. क्या यह समिति भ्रष्टाचार के आरोपों में धिरे पहले के करारों को रद्द कर सकती है? ट्रेडमिल के किराए से लखपति बने लोगों को क्या यह समिति बिना किसी भुगतान के ट्रेडमिल वापस कर सकती है? खेलों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद दोषियों को दंडित किए जाने की दिखावटी घोषणाओं में कोई दम नहीं है. यह संभव भी नहीं है, क्योंकि यदि कोई करार दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय क़ीमतों पर किया गया है और संबद्ध एजेंसी ने इसी अनुरूप काम किया है तो फिर उसे ग़लत आचरण का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है. यह और कुछ नहीं, बल्कि पहले से ही अंधी हुई जनता की आंखों में और धूल झाँकने जैसा है.

गुरुवार की उस शाम को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक के बाद बाहर निकलते हुए सुरेश कलमाडी के चेहरे से झलकती जीत की खुशी बिलकुल सही थी. आयोजन समिति के कुकर्मों के प्रायश्चित के लिए बलि के बकरे बनाए जा चुके हैं, लेकिन समिति के किसी भी फ़ैसले को नहीं बदला गया है, क्योंकि इनके साथ कई और लोगों के हित भी जुड़े हुए हैं. कुछ भी नहीं बदला है, आयोजन समिति के पापों को छुपाने के लिए उसे केवल एक नया आवरण दे दिया गया है. हमारी व्यवस्था ऐसे ही चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी, बशर्तें अक्टूबर में खेलों की ओपनिंग परेड के दौरान बारिश न हो जाए.

feedback@chauthiduniya.com

आज़ादी का संघर्ष और समाजवादी



प्रेम सिंह

समाजवादी आंदोलन की शुरुआत भारत और दुनिया में एक अर्थ में बहुत पहले हो जाती है. वह अर्थ है अनासक्ति का, मिलकियत और ऐसी चीज़ों के प्रति लगाव खत्म करने या कम करने का, मोह घटाने का. जबसे समाजवाद के ऊपर कार्ल मार्क्स की छाप बहुत पड़ी, तबसे एक दूसरा अर्थ सामने आ गया. वह है संपत्ति की संस्था को खत्म

करने का, संपत्ति रहे ही नहीं, चाहे क़ानून से, चाहे जनशक्ति से. रूस क्रांति करके संपत्ति को मिटा चुका 1919 में. उसके बाद दुनिया में समाजवादी आंदोलन की एक धारा ऐसी बही, जो संपत्ति को मिटाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ-साथ रूस से जुड़ जाती थी. साम्यवादी उसे अंतरराष्ट्रीय धारा कहेंगे और विरोधी देशद्रोही धारा. मैं कहूंगा कि वह परदेशमुखी धारा थी. जिसे एक तरह से असली समाजवादी धारा कह सकते हैं, वह हिंदुस्तान में 1934 में शुरू होती है. (डॉ. राम मनोहर लोहिया-समाजवादी आंदोलन का इतिहास)

भारत की आज़ादी का संघर्ष कई मायनों में अनूठा माना जाता है. यह एक बड़ा देश है. विभाजन से पहले और भी बड़ा था. इतने बड़े और बहुलताधर्मी देश में आज़ादी के संघर्ष की कई धाराओं और विचारधाराओं का होना स्वाभाविक है. समाजवादी धारा उनमें से एक है. आज़ादी के संघर्ष के कई चरण भी रहे. किसी न किसी रूप में उपनिवेशवादी सत्ता का विरोध शुरू से होता रहा. 1857 का महासंग्राम उस विरोध की चेतना का एक बड़ा विस्फोट था. अगर वह संगठित

जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद एक तरफ़ अंदर ही अंदर जनसामान्य में गुस्से की लहर दौड़ गई, दूसरी तरफ़ बड़े-बड़े पदवीधारियों की आंखों से अंग्रेजी सुशासन की पट्टी उतर गई. गांधी ने हिंदू और मुस्लिम जनता को जोड़कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की. अंग्रेजों को इस कदर व्यापक जनउभार का अंदाज़ा नहीं था. उस समय सक्रिय और बाद में बनने वाले बहुत से क्रांतिकारियों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी की. चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और देश में निराशा का एक माहौल बना.

और सतत रह पाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता. हम आज़ादी के उस पहले बड़े संग्राम की कमियों की ज़्यादा चर्चा करते हैं. आधुनिकतावादियों ने उसे अंग्रेजों की अगड़ी चेतना के बरक्स सामंतों की पिछड़ी चेतना का विद्रोह बताकर शुक्र मनाया कि यह सही और अच्छा हुआ कि विद्रोही हार गए. आश्चर्य की बात यह है कि चौतरफा गहरा सामंतों और नकली आधुनिकों से घिरे होने के बावजूद 1857 के विद्रोहियों ने इतनी सफलता पाई!

1857 के विद्रोह का दमन जिस सख्ती से अंग्रेजों ने किया, उसके बाद लंबे समय तक आज़ादी की बात करना तक बंद हो गया.

महारानी विक्टोरिया का गुणगान करने के साथ ज़्यादा जोर नवजागरण की चेतना जगाने और प्रशासनिक सुधार पर होने लगा. 1885 में बनी कांग्रेस के प्रयासों से असंतुष्ट होकर उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में क्रांतिकारी सक्रिय हो गए थे, जिनका लक्ष्य अंग्रेजों की गुलामी से सीधे आज़ादी था. शायद क्रांतिकारी ज़प्के की एक चिंगारी ने कांग्रेस में गर्म दल पैदा किया, जहां से आज़ादी के जन्म सिद्ध अधिकार होने का नारा निकला. अब तक यह तय हो गया था कि उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद से आज़ादी हासिल करना कठिन और जटिल संघर्ष है. इसी पड़ाव पर गांधी का आगमन होता है. वह आज़ादी के संघर्ष को जनांदोलन बनाते हैं. जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद एक तरफ़ अंदर ही अंदर जनसामान्य में गुस्से की लहर दौड़ गई, दूसरी तरफ़ बड़े-बड़े पदवीधारियों की आंखों से अंग्रेजी सुशासन की पट्टी उतर गई. गांधी ने हिंदू और मुस्लिम जनता को जोड़कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की. अंग्रेजों को इस कदर व्यापक जनउभार का अंदाज़ा नहीं था. उस समय सक्रिय और बाद में बनने वाले बहुत से क्रांतिकारियों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी की. चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और देश में निराशा का एक माहौल बना. यही वह समय है, जब समाजवादी विचारधारा की भारतीय राजनीति और आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय भूमिका शुरू होती है. हालांकि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से मार्क्सवाद और समाजवाद संबंधी उल्लेख एवं लेख कतिपय पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे थे. लाला हरदयाल ने कार्ल मार्क्स : ए मॉडर्न ऋषि शीर्षक से उनकी जीवनी लिखी, जिसका पहले मलयालम में अनुवाद हुआ. रूस के संघर्ष और 1917 में होने वाली बोलशेविक क्रांति का भारत के समाजवादी-क्रांतिकारी सोच के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा. रूस की क्रांति से लेनिन की ख्याति दुनिया के साथ भारत में भी फैली. एस ए ड़ांगे ने 1921 में गांधी वर्सिस लेनिन पुस्तक लिखी. उसमें उन्होंने रूस की क्रांति के मूल सिद्धांतों को सामने रखा. अगले साल ड़ांगे ने दि सोशलिस्ट नाम से सप्ताहिक पत्र निकाला. उस समय समाजवाद और रूस की क्रांति उनसे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए एक आदर्श था. भगत सिंह और उनके साथियों ने मार्क्सवाद से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारी आंदोलन में समाजवाद का लक्ष्य शामिल किया. हालांकि यह आंदोलन रूस या अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के तहत संचालित नहीं हुआ.

समाजवाद और रूसी क्रांति से प्रेरित होकर देश में कई कम्युनिस्ट और समाजवादी समूह सक्रिय हुए, जो मार्क्सवाद से प्रेरित थे.

समाजवादियों और कम्युनिस्टों में अंतर था. कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के निर्देशानुसार चलते थे. उन्होंने थर्ड इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस की लाइन अपना रखी थी, जिसके अनुसार भारत के कम्युनिस्टों को निर्देश दिया गया था कि वे कांग्रेस, स्वराजियों और गांधीवादियों के चरित्र को जनता के सामने बेनकाब करें. समाजवादी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के दबाव से स्वतंत्र रहकर आज़ादी और समाजवाद का संघर्ष चलाने में विश्वास करते थे. 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन अपनी कांग्रेस विरोधी नीतियों के चलते उसकी भूमिका एक छोटे से ग्रुप की बनकर रह जाती है और कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोध की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मज़बूत होती जाती है. दरअसल केवल सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीयता के आधार पर किसी देश में न सफल का संघर्ष खड़ा किया जा सकता है, न सर्वहारा की क्रांति को अंजाम दिया जा सकता है. खुद कम्युनिस्टों को अपनी इस ग़लती का एहसास बार-बार होता है, लेकिन शुरुआत में ही पराश्रयी हो जाने के चलते स्वतंत्र रास्ता अपनाना हमेशा उनके बूते के बाहर रहा.

मई, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) का गठन हुआ. ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी के वाम संकीर्णतावाद की प्रतिक्रिया के अलावा कांग्रेस को संविधानवाद की ओर जाने से रोकने के लिए भी हुआ. नेहरू ने कांग्रेस और देश की विचारधारा को प्रभावित करने के लिए कांसोपा के गठन का स्वागत किया. बाद में लोहिया ने स्वीकार किया कि पार्टी के गठन के समय गांधी के मुकाबले नेहरू को ज़्यादा समाजवादी मानना ग़लती थी. उन्होंने कहा कि समाजवाद अलग, नेहरू की आधुनिकता भी नकली थी और वह नकली आधुनिकता भी असली नहीं थी. यही बात भारत के कम्युनिस्टों के अंतरराष्ट्रीयतावाद के बारे में भी कही जा सकती है. गांधी ने सहानुभूतिपूर्ण आलोचना के साथ समाजवादियों की पार्टी के गठन का स्वागत किया. उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी के गठन का स्वागत करता हूं, लेकिन यह नहीं कह सकता कि पुस्तिका में छपे उसके कार्यक्रम को पसंद करता हूं. मुझे लगता है कि इसमें भारतीय स्थितियों की अनदेखी की गई है और मैं उसकी कई मान्यताओं को भी पसंद नहीं करता हूं. जिनमें यह निहित है कि वर्गों और आम जनता के बीच या मजदूर और पूँजीपति के बीच ऐसा टकराव होता है कि वे आपसी भलाई के लिए मिलकर काम कर ही नहीं सकते. मेरे लंबे समय का अनुभव इसके विपरीत है.

कांग्रेस ने समाजवादियों के वर्ग युद्ध के सिद्धांत और निजी संपत्ति ज़ब्त करने की कार्रवाई को ग़ैर ज़िम्मेदाराना प्रलाप और अहिंसा के विरुद्ध बताया. कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांसोपा का विरोध किया. हालांकि उसके विरोध का कारण अलग था. उसने इसे सोशल फासिस्ट पार्टी और बुजुर्ग़ा की वाम पैंतरेबाज़ी कहा. इस तरह समाजवादियों को कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के विरोध के बीच काम करना पड़ा. जे पी और आचार्य नरेंद्र देव ने हालांकि कम्युनिस्टों और समाजवादियों के बीच मिलकर काम करने की रणनीति अपनाई, लेकिन दोनों को निराश होना पड़ा. कम्युनिस्ट-सोशलिस्ट टकराव का वह दौर जिसकी चरम परिणति भारत छोड़ो आंदोलन में हुई, भारत की वामपंथी

सबसे बड़ा घोटाला

23-29 अगस्त के अंक की आवरण कथा-कॉमनवेल्थ 2010 सबसे बड़ा घोटाला हमारी आंखें खोलती है. वाकई जनता को मूर्ख बनाया रहा है और अधिकारी अपनी जेब भरते जा रहे हैं. आज़ाद भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह नेताओं एवं अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से सबसे बड़े घोटाले में तब्दील हो गया है. कॉमनवेल्थ के नाम देश में लूट मची हुई है. सच है कि कॉमनवेल्थ गेम्स काजल की काली कोठरी से कम नहीं हैं. -**अमित चौधरी, करनाल, बंडीगढ़.**

रिक्शेवालों का क्या होगा ?

गरीब रिक्शेवाले कहां जाएंगे, लेख पढ़ा. बढ़िया लगा. अगर सड़कों से रिक्शे

हटा दिए जाएंगे तो रिक्शा चलाने वाले लोग कहां जाएंगे और अपना पेट कैसे भर पाएंगे. वे तो बेरोज़गार हो जाएंगे.

—**शुभम, जबलपुर, मध्य प्रदेश.**

एड्स से बचाव की ज़रूरत

आलेख-एड्स की चपेट में मऊ जानकारीपरक है. सरकार को एड्स से बचाव के लिए और भी कारगर कदम उठाने होंगे. इसके लिए जागरूकता अभियान के साथ-साथ देश-प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी. अन्यथा भविष्य में स्थिति और भी भयावह होगी.

—**लवेश कुमार ओझा, झांसी, उत्तर प्रदेश.**

आरटीआई और चौथी दुनिया

चौथी दुनिया का आरटीआई कॉलम हमेशा



उत्तराखंड की सड़कों पर सफर करते हुए हमारी मांसपेशियों पर बल पड़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश आकर भयावह वेदना में तब्दील हो जाते हैं.

जानकारीपरक होता है. इस कॉलम का मैं नियमित पाठक हूं. इससे लोग अपनी परेशानियां हल कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं.

—**सुशील कुमार, चमोली, उत्तराखंड.**

ज़रदारी की परेशानियां

23-29 अगस्त के अंक में छपा लेख ज़रदारी के लिए रास्ता आसान नहीं, अच्छा लगा. सही कहा गया है कि उन्हें अपनी राह में कई रोड़ों का सामना करना पड़ेगा. इस समय ज़रदारी विरोधियों के निशाने पर हैं. उन्हें हर कदम संभल कर उठाना होगा, क्योंकि माहौल उनके पक्ष में नहीं है.

—**सुनीता कुमारी, दरभंगा, बिहार.**

लाजवाब मेरी दुनिया

चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं.

मुझे मेरी दुनिया कॉलम अच्छा लगता है. अख़बार हर लिहाज़ से अच्छा है. ख़बरों की दृष्टि से भी यह अन्य अख़बारों की तुलना में अलग है.

—**राजीव सिंह, शाहदरा, दिल्ली.**

स्टार खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गेम्स

आलेख-स्टार खिलाड़ियों से महरूम रहेगा राष्ट्रमंडल खेल अच्छा लगा. यह जानकर कि एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स से किनारा करते जा रहे हैं, वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहते, काफी दु:ख हुआ.

रोहित, आगरा, उत्तर प्रदेश.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

वी पी सिंह का सपना पूरा हुआ



संतोष भारतीय

कि

सानों ने अपना रुख तय करना प्रारंभ कर दिया है. स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का शायद यही सपना था. उन्होंने दिल्ली के पास दादरी में किसानों के ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ़ सफल लड़ाई लड़ी. उनके देहांत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि किसान अगर ज़मीन नहीं देना चाहते तो उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए. मौत के बाद भी वी पी सिंह जीत गए, रिलायंस हार गया.

दिल्ली से दूर किसानों की छुटपुट लड़ाइयां चलीं, लेकिन उन्हें अख़बारों में और टीवी पर जगह नहीं मिली. अब दिल्ली के नज़दीक अलीगढ़ और मथुरा से होकर गुज़रने वाले यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे के किसानों ने ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ़ मोर्चा खोला. बात शुरू हुई थी ग्रेटर नोएडा के बराबर मुआवज़े की मांग को लेकर और अब मांग पहुंच गई है कि ज़मीन अधिग्रहण क़ानून बदला जाए, किसान अपनी ज़मीन देना ही नहीं चाहते. दादरी में भी यही हुआ था, पहले बाज़ार भाव के बराबर मुआवज़े की मांग हुई, बाद में वह ज़मीन अधिग्रहण क़ानून के बदलाव पर जाकर रुकी.

अब तक सरकारें 1894 के क़ानून के तहत किसी भी ज़मीन को अधिगृहीत कर लेती थीं. इस क़ानून के तहत सार्वजनिक हित के नाम पर यह कार्रवाई होती थी. ज़मीन का अधिग्रहण जब सार्वजनिक कामों के लिए होता था तो लोगों को स्वीकार्य था, पर इसका उपयोग पैसे वालों के लिए, बिल्डरों के लिए और बड़े उद्योगपतियों के लिए होने लगा तो इसका विरोध शुरू हुआ. देश भर में बड़े पैमाने पर ज़मीन का अधिग्रहण एसईजेड यानी स्पेशल इकनामिक जोन के लिए हुआ और इसका विरोध भी शुरू हुआ. एसईजेड बनाने का उद्देश्य था विदेशों से व्यापार बढ़ाना, लेकिन एसईजेड बन गए ज़मीन हड़पने का ज़रिया. बड़े–बड़े घराने ज़मीन की कीमत समझ उसे किसी भी कीमत पर संपत्ति में बदलने की होड़ में लग गए. इसमें मदद मिली विभिन्न राज्य सरकारों की, जिन्होंने सार्वजनिक हित शब्द का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया.

उदाहरण के लिए सड़क लें. एक सड़क वह होती है जिस पर आम आदमी चलता है और दूसरी वह होती है जिसे पूंजीपति बनाता है तथा जिस पर चलने का टैक्स देना पड़ता है. इस सड़क की भी अहमियत है, लेकिन इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करे और सस्ता भाव किसान को दे, यह ग़लत है. ज़मीन लेनी है तो बाज़ार भाव में किसानों से सीधे कंपनी को लेनी चाहिए. दूसरा उदाहरण सिंगूर का है. टाटा यहां कार का कारख़ाना लगाना चाहता था, लेकिन स्थानीय किसानों ने विरोध किया. यह क्षेत्र फसल देने वाला था तथा ज़मीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था. किसानों का कहना था कि कारख़ाना यहां लगे, जहां फसल न होती हो, बंजर इलाका हो तथा ज़मीन की कीमत उन्हें बाज़ार भाव पर मिले. टाटा चाहते तो सत्तर किलोमीटर दूर जा सकते थे, जहां बंजर ज़मीन मिल सकती थी. उन्हें केवल थोड़ी सड़क बनानी पड़ती. पर टाटा ने रुख़ अपनाया कि

ज़मीन देना सरकार की ज़िम्मेदारी है, वह दे और सड़क के किनारे दे. नहीं देगी तो वह चले जाएंगे. सिंगूर की जनता के आंदोलन ने टाटा का कारख़ाना नहीं लगने दिया तथा उन्हें गुजरात जाना पड़ा.

इस तरह दादरी के बझेड़ा गांव में अनिल अंबानी ने सरकार की सहायता से काफी सस्ते भाव में किसानों की ज़मीन ली. पहले सरकार ने अधिगृहीत की, बाद में उसे अनिल अंबानी की रिलायंस को बिजलीघर बनाने के लिए दे दिया. ज़मीन का यह हिस्सा एशिया का सबसे उपजाऊ हिस्सा है. और एक ट्रेंड बन गया है कि किसी न किसी तरह उपजाऊ ज़मीन हड़प ली जाए. किसानों के आंदोलन से यह संभव नहीं हो पाया.

राहुल गांधी अलीगढ़ गए, यहां किसानों से मिले, लौटकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले. प्रधानमंत्री से उन्होंने भूमि अधिग्रहण क़ानून में परिवर्तन के लिए कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के अगले अधिवेशन में यह बिल आएगा. राहुल गांधी कालाहांडी (उड़ीसा) भी गए तथा वहां उन्होंने आदिवासियों से कहा कि आपकी ज़मीन आपकी रहेगी. दोनों बातें अच्छी लगीं तथा अगर ये बातें सोच समझ कर कही गई हैं तो नई संभावनाएं भी जगाती हैं. पर हम राहुल गांधी के लिए कुछ बातें लिखना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि अगर संसद के अगले सत्र में आने वाला संशोधन विधेयक इन्हें नहीं समाहित करता तो वह किसानों के साथ धोखा होगा.

राहुल गांधी को चाहिए कि वह प्रधानमंत्री पर दबाव डालें कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में होने वाले संशोधन किसानों के बीच राय के लिए तत्काल प्रसारित किए जाएं. उन पर दूरदर्शन पर गंभीर विचार विमर्श हो. यह इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार के लिए काम करने वाले न्यूज़ चैनलों के लिए यह विषय डेड सब्जेक्ट है. एक तरफ़ किसान अलीगढ़ में गोली खा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय दो प्रमुख चैनल मुंबई में एक चौवन वर्षीय महिला के स्वयंवर की खबरों पर अपना समय बर्बाद कर रहे थे.

सूचना अधिकार क़ानून: भ्रांतियां और निवारण



डॉ. सोमित्र मोहन

भारत में सूचना अधिकार क़ानून (आरटीआई एक्ट) को लागू हुए पांच साल पूरा हो चुका है, लेकिन आम जनता और सरकारी अधिकारी अभी भी इस क़ानून के कई पहलुओं से अनभिज्ञ हैं. यह अनभिज्ञता दायर की गई अपीलों और लोकसेवकों द्वारा उनके जवाबों को देखकर स्पष्ट हो जाती है. कई बार ऐसी अपीलें दायर की जाती हैं, जिनके पीछे दायर करने वालों के निजी स्वार्थ छुपे होते हैं. राजनीतिक पार्टियां कई बार अधिकारियों से अपनी ख़ुन्नस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं. इलाक़े में कोई सड़क बन रही हो और स्थानीय प्रशासन उनकी बात सुनने से इंकार करता है तो आरटीआई की अर्जियां दाख़िल कर दी जाती हैं. आरटीआई क़ानून के मुताबिक़, ऐसी सभी सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं, जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई हैं. लेकिन अक्सर ऐसी सूचनाओं की मांग की जाती है, जो इस क़ानून के दायरे से ही बाहर हैं. कई बार ऐसी अपीलें दायर की जाती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता. इस तरह की अपीलों से संबद्ध अधिकारी भी उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि वे पहले ही इस क़ानून के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियों के शिकार हैं.

आरटीआई क़ानून के अंतर्गत सार्वजनिक हित से जुड़ी हर सूचना की मांग कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी सूचनाएं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और जिन्हें हासिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो, तो इस क़ानून की धारा 7 की उपधारा 9 के मुताबिक़ उसे उपलब्ध कराना ज़रूरी नहीं है. हालांकि ऐसे अपीलकर्ता आवश्यक शुल्क का भुगतान करके रिकॉर्ड्स की समीक्षा की मांग कर सकते हैं. ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारी अज्ञानतावश ग़रीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त में सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं. यह सही नहीं है, क्योंकि इससे बेतुकी अपीलों और स्वार्थी तत्वों को बढ़ावा मिलता है. राज्य लोक सूचना अधिकारी और अन्य संबद्ध अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरटीआई क़ानून के तहत अपीलें ज़रूरी शुल्क के साथ ही दायर की जाएं. इतना ही नहीं, अपीलकर्ताओं को रिकॉर्ड्स की समीक्षा, फोटोस्टेट और सीडी आदि के लिए भी अलग से भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए. ऐसा करने से संभव है कि बिना



वजह अपील दायर करने वाले लोग ख़ुद ही पीछे हट जाएं. सच तो यह है कि यदि अधिकारी इस क़ानून की धारा 4 में दिए गए अनुदेशों का पालन करें तो अपने कीमती समय और ऊर्जा की काफी बचत कर सकते हैं. कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त अपीलकर्ताओं को ज़रूरी सूचना हासिल करने के लिए संबद्ध वेबसाइट का पता दिया जा सकता है. यदि अपीलकर्ता कंप्यूटर में दक्ष न हो तो ज़रूरी सूचनाओं की प्रतिलिपि स्थानीय पुस्तकालयों में उपलब्ध कराई जा सकती है.

कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अपीलकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने से पहले सूचना अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति का इंतज़ार करते रहते हैं. यह अनावश्यक है और इससे अपीलों के शीघ्र निस्तारण में बाधा पहुंचती है. यदि अपील किसी गंभीर मसले से जुड़ी न हो या नीतिगत फैसले से संबंधित न हो तो सूचना अधिकारियों को अपने वरिष्ठों की अनुमति का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे भी किन मसलों पर वरिष्ठों की अनुमति आवश्यक है, इसका फैसला पहले ही होना चाहिए, न कि अपील दायर होने के बाद. इतना ही नहीं, मानवीय कार्यों से जुड़ी अपीलों के मामले में अपीलकर्ता को आवश्यक शुल्क का भुगतान कर स्वयं ही रिकॉर्ड्स की समीक्षा के लिए आमंत्रित करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इन उपायों का नतीजा यह होगा कि बिना वजह अपील करने वाले लोग हतोत्साहित होंगे, जबकि ज़रूरतमंद लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा. चूंकि तय समय सीमा के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी सूचना अधिकारियों की है, इसलिए उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराने में अपनी तत्परता दिखानी चाहिए. सूचना अधिकार क़ानून के कई पहलू अभी भी संदेह के घेरे में

हैं. उदाहरण के लिए, कौन सी सूचना सार्वजनिक की जानी है और कौन सी नहीं, कई लोगों को अब तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है. 30 दिनों की समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान पर भी संदेह बना हुआ है. आम जनता इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करती है तो सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से. ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को सूचना हासिल करने के लिए किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है. इसका फ़ायदा उठाकर लोग शुल्क के भुगतान से बचने के लिए अक्सर ग़रीब लोगों से अपीलें दायर कराते हैं.

ऐसी अपीलों, जिनकी विषयवस्तु को लेकर संदेह होता है, को अक्सर लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. इसके चलते संबद्ध विभाग को अंतिम अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने आर्थिक दंड का भुगतान भी करना पड़ता है. ऐसे हालात से बचने के लिए इन अपीलों के जल्दी निपटारे की कोशिश की जानी चाहिए. इसके लिए मामले की जल्द सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए या ज़रूरी हो तो अपीलकर्ता से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए. ऐसी सूचनाओं, जिनके लिए शुल्क का भुगतान अनिवार्य है, के मामलों में ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और बेहतर यही है कि सूचना उपलब्ध कराए जाने से पहले अपीलकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिला जाए. सूचना अधिकार क़ानून की आलोचना की एक बड़ी वजह यह है कि न्यायपालिका और इसकी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं. एक ओर जब हम लोकतंत्र, जनता के अधिकार और क़ानून के समक्ष समानता की बातें करते हैं तो इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि न्यायपालिका को सूचना अधिकार क़ानून के दायरे से बाहर रखा जाए. उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सूचना अधिकार क़ानून के इस विरोधाभास को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा, ताकि इसका ज़्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल संभव हो सके.

एक और संदेह विदेशियों और ग़ैर भारतीय नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर मौजूद है. सूचना अधिकार क़ानून के तहत उन्हें भी वे सभी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हैं. क़ानून की धारा 8 के तहत व्यक्तिगत या न्यायिक मामलों से जुड़ी सूचनाओं को छोड़कर लोकसेवकों की संपत्ति या आयकर से संबंधित ब्यौरे की मांग की जा सकती है. सूचना अधिकार क़ानून के लिए विभिन्न स्तरों पर ज़रूरी संसाधनों के गठन के साथ आम जनता और लोकसेवकों के बीच इसके सभी पहलुओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि भी अपेक्षित है. राज्य के कल्याणकारी कार्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनज़र इस क़ानून के लिए ज़रूरी संरचना का गठन समय की ज़रूरत बन चुका है. यह आवश्यक है कि आम लोगों द्वारा दायर की गई अपीलों के शीघ्र निष्पादन के लिए अलग से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए.

प्रशासकीय संरचना के विकास से यह क़ानून ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है. ऐसे अधिकारी, जो जानबूझ कर अपने दायित्वों से मुंह मोड़ते हैं या मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से आनाकानी करते हैं, उनके खिलाफ़ दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए. साथ ही बेतुके या स्वार्थी अपीलकर्ताओं के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए. लेकिन दंड और जुर्माने के इन प्रावधानों को सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए और अधिकारियों के मनमाने व्यवहार पर रोक लगनी चाहिए. संबद्ध अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी ज़्यादा स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत है. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय निकायों के अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिए.

(लेखक पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)



मूत्र में मौजूद यूरिया से बनने वाले ईंधन का इस्तेमाल खासतौर पर पनडुब्बियों, सैनिक वाहनों और दूरदराज के इलाकों जैसे रेगिस्तान और द्वीपों पर बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है।



आप जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके बदले नगर निगम को टैक्स देते हैं. इसलिए शहर, सड़क और गलियों की सफाई की ज़िम्मेदारी भी नगर निगम की बनती है. फिर भी आप जिस मुहल्ले में रहते हैं, वहां नगर निगम की तरफ़ से सफाई का काम नहीं होता है तो इसे निगम की लापरवाही ही कहेंगे. ऐसे में निगम को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराने के लिए आपके पास सूचना का अधिकार नामक एक मज़बूत हथियार है. इस अंक में हम इसी मसले से संबंधित आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने मुहल्ले की गलियों और सड़कों की सफाई कराने के लिए कर सकते हैं. आप इस आवेदन के ज़रिए निगम से सफाई व्यवस्था से संबंधित सूचनाएं मांग सकते हैं. मसलन, सफाई कर्मचारियों, जो उक्त क्षेत्र की सफाई के लिए नियुक्त किए गए हैं, के नाम, नंबर और पते के बारे में भी पूछ सकते हैं. इसके अलावा इस अंक में हम अपने पाठकों के कुछ पत्र भी शामिल कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप सभी इस आवेदन का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही पाठकों के पत्रों से भी आपको लाभ होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा

(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301

ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

हाई हील को बाय कहिए

ग्लैमरस दिखने के लिए महिलाएं हाई हील की चप्पलें पहनती हैं. आपको पता है कि हाई हील की चप्पलें पहन कर चलने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे इन दिक्कतों को झेलने की आदी हो चुकी होती हैं. इसका आभास उन्हें तब होता है, जब वे अचानक फ्लैट चप्पलें पहना शुरू कर दें. यह पिंडलियों की मांसपेशियों के लिए खतरनाक हो सकता है.

डेली गेल डॉट को डॉट यूके के मुताबिक़, अक्सर ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनने वाली महिलाओं की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. इसलिए जब वे फ्लैट चप्पलें पहनती हैं तो उन्हें परेशानी होती है. लंबे समय तक ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनने से पैरों की पिंडली की मांसपेशियां छोटी और कमज़ोर हो जाती हैं. जब ऐसी महिलाएं फ्लैट चप्पलें पहनती हैं तो मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव होता है, जबकि वे इतने खिंचाव की आदी नहीं होती हैं. यही वजह है कि पैरों में दर्द होता है और परेशानी होती है. मेनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मुताबिक़ , जो महिलाएं दो साल तक प्रति सप्ताह पांच दिन ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनती हैं, उनकी पिंडलियों की मांसपेशियां 13 प्रतिशत तक संकुचित हो जाती है. यह प्रभाव स्थायी होता है और इसे दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि हर दिन खिंचाव पैदा करने वाला व्यायाम किया जाए.



मूत्र से ईंधन बनाने की तैयारी

रकों

टलैंड की हैरियट-वाॉट यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ता मूत्र से ईंधन बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं. अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है, जिसके ज़रिए यह पता लगाया जा सके कि मूत्र में मौजूद तत्वों का इस्तेमाल ज्वलनशील हाइड्रोजन या मिथेनॉल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है या नहीं. इंसान और पशुओं के मूत्र में मौजूद यूरिया यानी कार्बामाइड एक रासायनिक तत्व है, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता है. यूरिया से बने ईंधन का इस्तेमाल अगर पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा तो सभी को बेहद खुशी होगी. इससे दुनिया भर के लोगों को फ़ायदा होगा.

अनुसंधानकर्ता शानवेन ताओ और उनके सहयोगी रॉंग लैन फ़िलहाल इस ईंधन का एक प्रारूप बनाने की तैयारी कर रहे हैं. मूत्र में मौजूद यूरिया से बनने वाले ईंधन का इस्तेमाल खासतौर पर पनडुब्बियों, सैनिक वाहनों और दूरदराज के इलाकों जैसे रेगिस्तान और द्वीपों पर बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है. डॉक्टर ताओ ने कहा कि वह चीन के एक ग्रामीण इलाके में पले-बढ़े हैं. उन्हें पता था कि यूरिया का इस्तेमाल गांवों में रासायनिक खाद के रूप में होता है. जब उन्होंने रसायन विज्ञान पढ़ा, तब इस तरह का ईंधन बनाने



के बारे में सोचा. यह नमूना फ़्यूल सेल्स की मदद से बनाया जा रहा है, जो रासायनिक तत्वों को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं. फ़िलहाल फ़्यूल सेल्स में केवल हाइड्रोजन और मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली, 06 सितंबर–12 सितंबर 2010



मे़ष

21 मार्च से 20 अप्रैल

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. अपने संपर्कों का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. अचानक कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है. व्यर्थ की परेशानी एवं उलझनें रहेंगी.



वृष

21 अप्रैल से 20 मई

शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. रुका हुआ कार्य संपन्न होगा.



मिथुन

21 मई से 20 जून

अधीनस्थ कर्मचारी या भाई आदि से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. जीविका के क्षेत्र में आशांति सफलता मिलेगी. सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका की सभी तारीफ़ करेंगे. संबंधित अधिकारी के कृपापात्र बनेंगे.



कर्क

21 जून से 20 जुलाई

पड़ोसी या व्यक्ति विशेष से विवाद हो सकता है. आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं. रुपये-पैसे के लेनदेन में सावधानी रखें. व्यस्तता बढ़ेगी. मनमुटाव और झगड़ों से उबर कर अपने काम पर ध्यान देंगे.



सिंह

21 जुलाई से 20 अगस्त

दांपत्य सुख मिलेगा. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. अनचाहे व्यक्तियों से भेंट हो सकती है. व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोग सम्मान पा सकते हैं. घर के मुखिया या पिता का सहयोग मिलेगा.



कन्या

21 अगस्त से 20 सितंबर

प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय से अच्छा लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य किसी न किसी रूप में प्रभावित होगा. मधुमेह के रोगियों को विशेष सचेत रहना होगा. पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.



तुला

21 सितंबर से 20 अक्टूबर

पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा. राजनीतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे. तबादले की संभावना बनेगी. कार्यस्थल की पूरी ज़िम्मेदारी आप पर आ सकती है. कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.



वृश्चिक

21 अक्टूबर से 20 नवंबर

अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है. आर्थिक योजना को बल मिलेगा. दूर की यात्रा के प्रयास सफल होंगे. पद एवं प्रतिष्ठा की दिशा में प्रगति होगी. व्यापारिक कार्यों के साथ आर्थिक विकल्पों पर भी ध्यान देंगे.



धनु

21 नवंबर से 20 दिसंबर

वाणी की सौम्यता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी. कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य शिथिल रहेगा. भावनात्मक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा.



मकर

21 दिसंबर से 20 जनवरी

प्रणय संबंधों में टूटन आ सकती है. वाहन सुख मिलेगा. भावनात्मक संबंधों में टकराव बढ़ सकता है. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा.



कुंभ

21 जनवरी से 20 फरवरी

भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. राजकीय मामलों में आपका पक्ष मज़बूत होगा. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी.



मीन

21 फरवरी से 20 मार्च

संयम रखना आपके लिए हितकर होगा. साधना की दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होंगे. व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी. लाभ के लिए योजनाओं की शुरुआत हो सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें.

पंचित सुदर्शन

feedback@chauthiduniya.com



मौके पर एक और लड़का भी मौजूद था, जो पकड़े गए चोर का बड़ा भाई था। उसने इन दोनों भाइयों को देखा और अचानक जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि ये दोनों चोर हैं।



अक़दस वहीद

17 वर्षीय हफीज़ मुगीस और 15 वर्षीय मुनीब को बीते 15 अगस्त को गुस्साईं भीड़ ने सियालकोट में मार डाला। उन पर डकैती और लूटमार का आरोप था। अगले दिन तक़रीबन हर न्यूज़ चैनल पर यह ख़बर सुर्खियों में बनी रही। इस घटना को तात्कालिक न्याय के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है और न ही यह आम लोगों द्वारा तात्कालिक न्याय का एक उदाहरण भर है। इसका एक दूसरा पहलू भी है और वह इतना अंधकारमय एवं शर्मनाक है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको इस वारदात की वास्तविक तस्वीर बताती हूं। मुनीब और मुगीस सियालकोट के एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे और भाई थे। पढ़ाई-लिखाई में दोनों को ही ज़हीन छात्रों के रूप में शुमार किया जाता था। मुगीस हफीज़-ए-कुरान था और नमाज़ तरवीह में मस्जिद का इमाम भी था। दोनों भाई क्रिकेट के शौकीन थे और कुछ दिनों पहले खेल के दौरान ही दोनों की अपने इलाक़े के अन्य लड़कों के साथ झड़प हुई थी। 15 अगस्त को कुछ लोगों ने एक लड़के को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। इसी बीच मुगीस एवं मुनीब भी उधर से गुज़र रहे थे और कौतूहलवश रुककर यह माजरा देखने लगे।

मौके पर एक और लड़का भी मौजूद था, जो पकड़े गए चोर का बड़ा भाई था। उसने इन दोनों भाइयों को देखा और अचानक जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि ये दोनों भाई चोर हैं और चोरी की इस घटना में भी इनका हाथ है। गुस्साईं भीड़ ने आव देखा न ताव और दोनों भाइयों की निर्दयतापूर्वक पिटाई करने लगी। हैरान करने वाली बात यह है कि मुनीब एवं मुगीस पर आरोप लगाने वाला यह वही लड़का था, जिससे कुछ दिन पहले दोनों भाइयों की खेल के मैदान पर लड़ाई हुई थी। उसने बदला लेने के लिए यह नायाब तरीक़ा ढूँढ़ निकाला। भीड़ को इस झगड़े के बारे में कुछ पता नहीं था और वह लाठी, डंडों, लात-घूसों से दोनों भाइयों की तब तक पिटाई करती रही, जब तक कि दोनों की मौत नहीं हो गई। मैं ग़लत नहीं कह रही, उन दोनों भाइयों को वास्तव में मार दिया गया। चाँकिए मत, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अपनी सांसों को थामकर रखिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रही हूं, उसे सुनकर आपको आंखें फटी रह जाएंगी और आपका मन वितुष्णा से भर जाएगा।

भीड़ में मौजूद लोगों का गुस्सा उन्हें मारकर ही शांत नहीं हुआ, जान लेने के बाद उन्होंने दोनों लाशों को नंगा कर

लटका दिया और उस पर लाठी-डंडे बरसाते रहे। यह जानने के बाद शायद आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे कि इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। वही पुलिस, जिसे निर्दोष जनता का रक्षक कहा जाता है, लेकिन यहां मौजूद पुलिस वाले तो जैसे अपना कर्तव्य भूल चुके थे। उनके लिए तो मानो यह कोई तमाशा था और वे तमाशबीन की तरह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ख़ूब तालियां बजाइए, तमाशेबाजों के लिए तालियां बजाइए और तमाशबीनों के लिए तालियां बजाइए। पाकिस्तान में क़ानून के शासन के लिए तालियां बजाइए, कातिलों के लिए तालियां बजाइए, कल्ल होते हुए देखने वाले दर्शकों के लिए तालियां बजाइए। कुछ तालियां उन खबरनवीसों के लिए भी बजाइए, जो बिना पूरी बात जाने सबसे पहले खबर देने के लिए लालायित रहते हैं और न्याय की मांग करने वाले अबूझ लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं। मुगीस और मुनीब के चाचा का आरोप है कि उनके भतीजों को दो घंटे तक लगातार प्रताड़ित किया गया। उनकी मां तो पुलिस भी अब यह मान चुकी है कि दोनों भाइयों का चोरी की वारदात से कोई रिश्ता नहीं था और पुरानी रंजिश के चलते उनकी हत्या कर दी गई।

यह घटना हमारी आंखों पर पड़े पदों को हटाने वाली है। हम सब, जो इस समाज का सदस्य होने का दावा करते हैं, के लिए आंखें खोलने वाली है। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तानी समाज अब अपना नियंत्रण खोता जा रहा है। बदौश्त करने की हमारी ताकत लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, जो निर्दयी हो चुका है और भौतिकतावाद के जाल में इतना उलझ चुका है कि भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इस वीथीस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया पर जरा नज़र दौड़ाएं। खुद से निराश हम अंधेरे में हाथ-पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी शिकारी की तरह नहीं, बल्कि कमज़ोर और निर्बल बनकर सहारे की तलाश कर रहे हैं। कीमती मोबाइल फोन की मदद से बने वीडियो क्लिप्स देखना हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसके चलते हम केवल दर्शक मात्र बनकर रह गए हैं। उन निर्दोष भाइयों पर जब जुल्म ढाए जा रहे थे तो कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हम वही काम करके गर्व महसूस करते हैं, जिसे करने से अल्लाह हमें मना करता है और जिसके चलते हमें उसके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम खुदा के कुफ़्र का शिकार हो सकते हैं? न तो हमारा धर्म और न ही हमारे मुल्क का क़ानून इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी की बेइज़्ज़ती करें तो फिर बेजान लाशों के साथ हुई इस शर्मनाक वारदात पर हम भला चुप कैसे रह सकते हैं। इस चुप्पी के बाद तालिबान और हमारे बीच क्या फ़र्क़ रह जाता है? तालिबान से जुड़ा एकमात्र वीडियो, जिसमें एक लड़की को दंडित करते हुए दिखाया गया है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में बना रहा। इसकी वजह यह है कि वीडियो में लड़की के साथ दो लड़कों को दिखाया गया है।

देश के क़ानून के मुताबिक़, दोषियों को पकड़ने के लिए एक अलग महक़मा (पुलिस) है, जबकि उन्हें सज़ा देने के लिए अदालतें हैं। धर्म के मुताबिक़, आरोपी को काज़ी के सामने पेश किया जाता है, जो कुरान और सुन्ना के दिशानिर्देशों के मुताबिक़ उसकी सज़ा निर्धारित करता है। धर्म और क़ानून में हर तरह के अपराध के लिए अलग-अलग दंड की व्यवस्था है, लेकिन निर्दोष लोगों की लाशों को नंगा करके इस तरह लटका कर बेइज़्ज़त करने का हक़ किसने दिया है? हमारा मुल्क पहले ही बाढ़ और ऊर्जा संसाधनों की कमी जैसी कई समस्याएं झेल रहा है, फिर आम लोगों के इस व्यवहार की क्या वजह हो सकती है। आइए, कुछ ऐसी वजहों की तलाश करें, जो इस अमानवीय कृत्य का कारण हो सकती हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी समस्या है

क़ानून के शासन का अभाव। देश का न्यायिक तंत्र दो पाटों में बंटा हुआ है, एक ग़रीबों के लिए और एक संभ्रांत वर्ग के लिए। जबकि मध्य वर्ग कुआं और खाई के बीच फंसा हुआ है। नेशनल रिकॉसिलिएशन ऑर्डिनेंस से लाभांशित होने वाले लोगों को करोड़ों रुपये माफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर रेड लाइट तोड़कर आगे निकलने की छोटी सी ग़लती करने वाला आम इंसान न्यायिक तंत्र के पचड़े में उलझ कर रह जाता है। साधारण जनता अब नाउम्मीद हो चुकी है और क़ानूनी संस्थाओं में उसका थोड़ा भी विश्वास नहीं बचा है। ग़रीबी, बेरोज़गारी और सत्ता पर काबिज़ लोगों के पाखंड ने हमारे समाज को मानसिक असंतुलन की अवस्था में पहुंचा दिया है। इसी मानसिक असंतुलन की अवस्था में भीड़ ने उन दोनों भाइयों की वास्तविकता जाने बग़ैर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। भीड़ का यह व्यवहार देश की व्यवस्था एवं पूरे समाज के प्रति उसकी निराशा और अविश्वास को व्यक्त

करने का एक उदाहरण है। यह इस बात का सूचक है कि हमारा समाज किसी क्रांति की ओर आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि घृणा, हिंसा और भौतिकवाद के रास्ते पर चल रहा है। हम सुनना चाहते हैं और दूसरों को अपनी बातें बताना चाहते हैं। हम पूरे मुल्क की व्यवस्था में सुधार के सपने नहीं देखते, केवल अपनी माली हालत में सुधार चाहते हैं, ताकि जीवन की आधारभूत ज़रूरतें पूरी हो सकें। डर इस बात का है कि यदि सही रास्ता नहीं दिखाया गया तो यह मुल्क अनैतिक और भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों की भीड़ बनकर रह जाएगा। मैं यही दुआ करती हूं कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए, हमें साहस दे, जिससे देश में एकता की भावना पैदा हो। खुदा मुगीस और मुनीब की आत्माओं को भी शांति बख़शे।

(लेखिका पाकिस्तान की युवा पत्रकार हैं)

feedback@chauthidunya.com



सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी

दो हक

शनिवार रात 8 : 30 बजे

रविवार शाम 6 : 00 बजे

ईटीवी के सभी हिन्दी चैनलों पर

हमारी रचना कौन है?



आशिम खेत्रपाल

हम सब जानते हैं कि हम परमात्मा की रचना हैं। यह संसार, यह प्रकृति सब उसी की रचना है, लेकिन उसने तो हमसे वादा किया कि अपनी ही तरह वह हमें भी रचयिता बनाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हमारी रचना कौन है, क्या है? क्या हमारी संतान हमारी रचना है, मगर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संतान उत्पत्ति तो एक शारीरिक प्रक्रिया का परिणाम मात्र है। उसी तरह कितनी भी इमारतों, नगरों, शहरों का निर्माण, बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कार या मशीनों का निर्माण, कलात्मक कृतियों का निर्माण और छोटे स्तर पर देखें तो घर-संसार का निर्माण, क्या ये सब हमारी रचनाएं हैं? लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह सिर्फ परिणाम है। इस परिणाम के मूल में जाएं तो सबसे पहले हमारे मन में किसी भी निर्माण या रचना के लिए विचार

आएगा। ये विचार किसी भी रूप में हो सकते हैं। मुझे यह इमारत बनानी है, मुझे कविता लिखनी है या फिर मुझे मशीन बनानी है। इस सब पर काम कैसे होगा, उस पर विचार किया जाएगा। इस तरह निर्माण प्रक्रिया चलेगी। गौर करेंगे तो जीवन के हर परिणाम, हर निर्माण या हर कर्म के मूल में एक सोच या विचार होता है। असल में हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी रचना हैं, पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये विचार तो स्वतः ही आते हैं, पर पता नहीं कहां से आते हैं। इन बातों और विचारों पर भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले एक सच जो आज उजागर हुआ कि सूक्ष्म में पहले मैं रचता हूँ अपने विचार और स्थूल में वह बनता है मेरा संसार।

ओम् साईं राम!

जीवन से जुड़े सवालों और फाउंडेशन से जुड़ने के लिए संपर्क करें-09999313918.

feedback@chauthiduniya.com

ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
2. घड़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुख की पीढ़ी पर।
3. त्याग शरीर घला जाऊंगा। भक्त हेतु दीडा आऊंगा।
4. मन में रखना दूद विश्वास। करे समाधि पूरी आस।
5. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
6. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
7. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
9. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नहीं है दूर।
10. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाजा, सन्तनगर, ईस्ट अफ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbfi.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj

Sai Hills

Sai Vihar Township

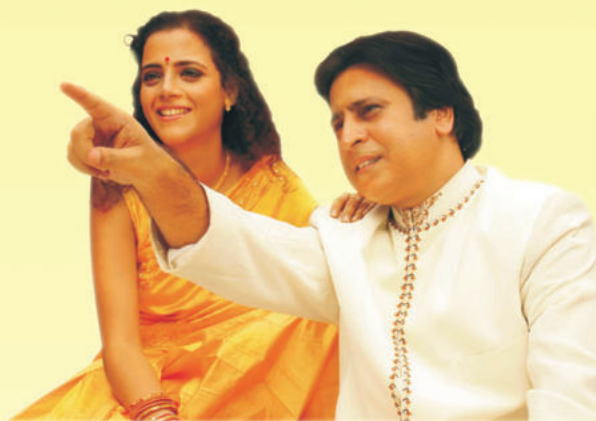
Spiritual home... away from home



STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Tel./Fax : 011-46594226/27
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.



नकारात्मक उर्जा को सकारात्मक उर्जा में परिवर्तित करता Crystal अब साई बाबा के आशीर्वाद के साथ।

This Festival Season gift it to your loved ones....
011-46567351/52

संपर्क करें:

शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन

252-H, LGF कैलाश प्लाजा, मेन रोड, सन्तनगर,

ईस्ट अफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

Tel./Fax: 91-11-46567351/52

web: www.ssbfi.in

पहली बाब
शिरडी बाई
बाबा फीचर
फिल्म अब
कॉमिक्स के रूप में



सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं।



भारत की सनातन संस्कृति में त्रय देवों में भगवान शिव को महादेव के नाम से पुकारा जाता है. श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को उनके विशिष्ट गुणों के कारण महादेव कहा गया है.

कौन कहता है हिंदी में पाठक नहीं है!



अनंत विजय

हिंदी में कुछ लोग लगातार पाठकों की कमी का रोना रोते रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है. हिंदी में प्रकाशकों की संख्या के साथ-साथ हर साल प्रकाशित होने वाली किताबों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. हिंदी में भी कई लेखक ऐसे हैं, जिनकी किताबें अब भी बेहिसाब पढ़ी जा रही हैं और लगातार उनके संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं. हिंदी में पढ़ने की संस्कृति भी लगातार विकसित हो रही है. दरअसल हिंदी में पाठकों की कमी की बात एक सोची-समझी रणनीति के तहत फैला दी गई है. कुछ औसत दर्जे के महत्वाकांक्षी लेखकों ने यह बात इस तरह फैलाई कि लोगों को यकीन भी होने लगा है. कुछ लोग अपने तकों के समर्थन में आंकड़ों की बाजीगरी करने लगते हैं, लेकिन उनके सारे तर्क और बाजीगरी धरी रह जाती है, क्योंकि हर वर्ष हिंदी में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की संख्या इस बात की चीख-चीख कर गवाही देती है कि हिंदी के पाठक हैं. अगर हिंदी में पाठक नहीं हैं तो इतने प्रकाशक कैसे और क्यों हैं? क्यों हर साल नई किताबों का अंबार लगता है? मैं मानता हूं कि थोक के भाव सरकारी खरीद होती है और प्रकाशकों की नज़र उसी पर होती है, लेकिन अगर पाठक न हों तो सिर्फ सरकारी खरीद के भरोसे प्रकाशन व्यवसाय इतना फल-फूल नहीं सकता.

अगर किताबों की बिक्री का आलम देखना हो तो पटना पुस्तक मेले में देखिए, किस तरह पाठकों की भीड़ जमा होती है. सिर्फ बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के छोटे शहरों एवं कस्बों में लगने वाले पुस्तक मेले से पाठकों की कमी का भ्रम दूर हो जाता है. हरियाणा के पुलिस अधिकारी विकास नारायण राय हर साल अलग-अलग शहरों एवं कस्बों में पांच-छह पुस्तक मेले लगाते हैं. उनकी बिक्री इतनी होती है कि एक प्रकाशन संस्था का खर्चा भी निकलता है और पाठकों के लिए कम कीमत पर पुस्तकें भी छपती हैं. हिंदी के वरिष्ठ लेखक एवं हंस के संपादक राजेंद्र यादव सीना

ठोक कर कहते हैं कि उनकी कृति सारा आकाश की अब तक दस लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. पांच बार तो उसके पेपरबैक छपकर खत्म हो चुके हैं. नब्बे के दशक की चर्चित लेखिका मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं कि अगर उनकी किताबें नहीं बिकतीं तो वह लिखती ही नहीं. इससे भी एक क़दम आगे जाकर वह कहती हैं कि पाठक ही लेखक पैदा करते हैं. दरअसल पाठकों की कमी का भ्रम पुस्तकों के उपलब्ध न होने से पैदा होता है. देश भर में हिंदी की किताबों की दुकानें बेहद कम हैं या कहीं कि नगण्य हैं. अगर दिल्ली में कोई फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मैला आंचल या फिर भीष्म साहनी की तमस ख़रीदना चाहे तो उसे आसफ अली रोड स्थित हिंदी बुक सेंटर जाना होगा, क्योंकि श्रीराम की बुक कॉर्नर बंद हो चुका है. इससे यह समझा जा सकता है कि हिंदी की किताबें कितनी मुश्किल से मिलती हैं. यह हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, कमोबेश सारे देश का है.

अगर हम अंग्रेजी के बरकश हिंदी की कृतियों की तुलना करें तो उपलब्धता की कमी साफ तौर पर लक्षित की जा सकती है. सिर्फ उपलब्धता ही नहीं, कृतियों के प्रचार-प्रसार के मामले में भी हिंदी के प्रकाशक अंग्रेजी वालों से पीछे हैं.

अगर किताबों की बिक्री का आलम देखना हो तो पटना पुस्तक मेले में देखिए, किस तरह पाठकों की भीड़ जमा होती है. सिर्फ बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के छोटे शहरों एवं कस्बों में लगने वाले पुस्तक मेले से पाठकों की कमी का भ्रम दूर हो जाता है.

अंग्रेजी के प्रकाशक प्रचार- प्रसार के मामले में पूरे प्रोफेशनल हैं और पाठकों तक पहुंचने की हरसंभव कोशिश करते हैं, चाहे वह ईमेल से हो, एसएमएस हों या फिर पत्रों द्वारा. वे अपने पाठकों को अपडेट रखते हैं. हिंदी के प्रकाशक पाठकों तक किताबें पहुंचाने का प्रयत्न तो नहीं ही करते हैं, नई किताबों की सूचना तक देने की ज़हमत नहीं उठाते. संचार क्रांति के इस दौर में हिंदी के इक्का-दुक्का प्रकाशकों को छोड़ दें तो किसी के पास अभी तक अपनी वेबसाइट भी नहीं है, जहां जाकर पाठक नए प्रकाशनों के बारे में जानकारी ले सकें. और जिनकी अपनी वेबसाइट है, वे भी उसे अपडेट नहीं करते. यहां सवाल उठ सकता है कि हिंदी के ऐसे कितने पाठक हैं, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है. चलिए अगर मान भी लिया जाए कि इससे कोई फायदा नहीं होगा तो फिर क्या किसी प्रकाशक ने वैकल्पिक उपाय ढूंढने की कोशिश की? क्या पाठकों तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश की गई? अगर प्रयास किए जाएं और तब पाठक न मिलें तो बात समझ में आती है, लेकिन बिना कोई प्रयास किए ही यह भ्रम फैला दिया गया कि पाठक ही नहीं हैं.

पाठकों तक पहुंचने में प्रकाशकों की मदद लेखक संगठन भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के जो तीन लेखक संगठन हैं, वे सिर्फ कागज़ी संगठन हैं. गाहे-बगाहे किसी घटना पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं. दरअसल लेखक संगठनों की भी अपनी मजबूरी है, वे किसी भी क़दम के पहले अपने राजनैतिक आकाओं की ओर देखते हैं और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं. इन स्थितियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है. अगर हम समग्रता में हिंदी के परिदृश्य पर विचार करें तो स्थिति बेहद सुखद है और पाठकों की कोई कमी नहीं है. यह चंद लोगों का विलाप है, जो हर दौर में होता रहा है और जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल



प्रदीप सौरभ

मांग इतनी हो गई थी कि हर कोई मुन्नी आंटी से ही खाना बनवाना चाहता था. लाज़िमी भी था, क्योंकि वह आनंद भारती से स्वादिष्ट खाना बनाने के सारे गुर जो सीख चुकी थी. लेकिन उसके पास समय नहीं था. वह झाड़ू-पोछा करने वाली महिलाओं को कुक बनाकर भेजने लगी.

इस तरह उसने खाना बनाने वालियों की एक छोटी-मोटी फौज खड़ी कर दी थी. काम दिलाने के नाम पर पहली तनख्वाह का वह आधा हिस्सा बतौर कमीशन लेने लगी. कामवालियों की सप्लाई करने वाली एक छोटी-मोटी एजेंसी की मालकिन के रूप में वह काम करने लगी थी. दीवाली पर आनंद भारती से मोबाइल मिलने के बाद तो उसके और पर लग गए थे. मोबाइल पर ही वह सब कुछ तय करने लगी थी. इलाके में काम करने आने वाली हर महिला काम के लिए सीधे मुन्नी से मिलने लगी. मुन्नी का काम काफी अच्छा चल रहा था. आनंद भारती के अंडर काम करने वाले पत्रकारों को उतना वेतन नहीं मिलता था, जितना मुन्नी आज कमा रही थी. मुन्नी अपने में मस्त रहने लगी थी. स्टैंडर्ड भी बढ़ गया था. पढ़ाई-लिखाई के महत्व को वह नहीं

समझती थी. इसीलिए वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी. बच्चे स्कूल गए कि नहीं, इस सबसे वह बेखबर रहती थी. आनंद भारती को यह नहीं अच्छा लगता था कि उसके बच्चे पढ़ें-लिखें न. इसलिए जब भी वह मुन्नी से उसके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछते तो वह टाल जाती. कहती, घैसे कमाने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं और मैं बिना पढ़े-लिखे पैसा कमा रही हूं. गांव में रात को बूढ़ी औरतों को पढ़ाने के लिए लोग आते हैं. अब वे पढ़ कर क्या कर लेंगी. उन्हें तो चूल्हा-चौका ही करना है और अपने मर्दों से मार खानी है. मुन्नी ऐसे तर्क देती कि आनंद भारती कुछ कह न सकें.

पर आनंद भारती हिम्मत नहीं हारना चाहते थे. एक दिन वह मुन्नी से बोले, मेरे घर पर न रहने पर जब कोरियर वाला आता है तो तुम अंगूठा निशानी देती हो. तुम्हें शर्म नहीं आती है! इसमें शर्म की क्या बात है? बिना सोचे-समझे वह बोल गई. लेकिन



बात भी उसके अंदर कहीं लग गई, जिस दिन चाहूंगी, दस्तखत करना सीख लूंगी. हुआ भी यही. उसने आनंद भारती से एक डायरी में अपना नाम लिखावाया. इसके बाद उसने दर्जनों बार उसकी नकल की. और इस तरह वह दस्तखत करना सीख गई. बैंक में उसका खाता था. वहां भी वह अपना दस्तखत कर आई. बैंक का अधिकारी भी हतप्रभ था. उसने पूछा, दस्तखत करोगी! इसमें

कौन सी खास बात है, अब मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी, मुन्नी ने विजयी अंदाज़ में घोषणा की.

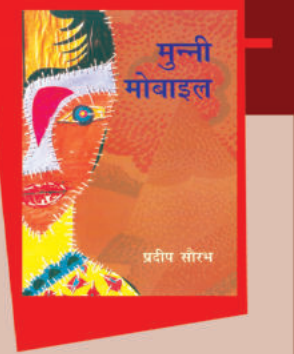
बैंक से उसका अंगूठा हट चुका था. उसके अंदर एक खास तरह का आत्मविश्वास जाग चुका था. शब्द की ताकत से वह पहली बार रूबरू हुई थी. पढ़ाई के महत्व को वह समझ गई थी. वह अपने धंधे को लेकर जितना जोर लगाती थी, अब उतना या उससे बड़ा जोर अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगी. बच्चों को

गतांक से आगे

ट्यूशन भी उसने लगा दिया. वर्दी से लेकर बस्ते तक उसका हर चीज पर ध्यान था. बड़ी बेटी नंदिनी की उम्र तो ज्यादा हो गई थी, इसलिए वह आगे पढ़ नहीं पाई. उसने उसे ब्यूटी पालर की ट्रेनिंग के काम में लगा दिया.

छोटी बेटी रेखा पढ़ने में तेज थी. उसे सही परवरिश की ज़रूरत थी. वह उसे मिल गई. वह पढ़ने में दौड़ने लगी. दसवीं की उसने जोरदार तैयारी की. रिजल्ट आया तो वह अच्छे नंबरों से पास हो गई. ग्यारहवीं में उसका दाखिला हो गया. वह आस-पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर चार-पांच सौ रुपये कमाने भी लग गई. तीसरे नंबर की बेटी प्रीति का पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मुन्नी ने उसे स्कूल भेजने में कोई कोताही नहीं की. गाहे-बगाहे पढ़ाई के महत्व पर वह उसे भाषण भी झाड़ती. बाकी तीनों बेटों को वह जोर-शोर से पढ़ाने में जुट गई. उसके अंदर सपना जाग गया था कि वह भी आनंद भारती की तरह अपने बच्चों को साहब बनाएगी.

अगले अंक में जारी...



मृत्युंजय मंदिर: यहीं हुआ था बारह ज्योतिर्लिंगों का उद्गम



राजकुमार शर्मा

दैवभूमि हिमालय की पावन कोख में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में स्थित है. जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित बारह ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है. इसके पौराणिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं. यहां का प्राकृतिक वैभव हर पर्यटक-तीर्थयात्री को मंत्रमुग्ध कर लेता है. देवाधिदेव महादेव यहां आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं. इस मान्यता के चलते हज़ारों श्रद्धालु यहां हर वर्ष खिंचे चले आते हैं. भगवान शिव-पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से दो शाखाओं वाले विशाल देवदारू के वृक्ष में करते हैं, जो 62.80 मीटर लंबा और 8.10 मीटर व्यास का है, जिसे अति प्राचीन बताया जाता है.

भारत की सनातन संस्कृति में त्रय देवों में भगवान शिव को महादेव के नाम से पुकारा जाता है. श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को उनके विशिष्ट गुणों के कारण महादेव कहा गया है. हमारे वेदों में केवल प्रकृति तत्व जो जीवन के मूल तत्व हैं, जैसे अग्नि, जल और वायु में ही देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है, वहां भी शिव को रुद्र नाम से प्रतिस्थापित किया गया है. वैदिक काल से पूर्व भी शिव का अस्तित्व रुद्र रूप से था. शिव कालातीत देवता हैं. वह सदैव लोक मंगल के लिए गतिशील देवता के रूप में जाने जाते हैं. वह किसी विशेष समय किसी विशेष प्रयोजन के लिए अवतार नहीं धारण करते. वह अनादि-अनंत हैं. इसी कारण उनके सगुण और निर्गुण दोनों पक्ष विद्यमान हैं. हिमालय पर्वत श्रंखला में कुमाऊं क्षेत्र अपने नैसर्गिक सौंदर्य के कारण विश्व में प्रसिद्ध है. इस क्षेत्र के अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पार्श्वरागढ़ मार्ग पर 36 किमी की दूरी पर देवताओं का महानगर जागेश्वर स्थित है. इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 1870 मीटर है. देवदारू के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थस्थल है. जागेश्वर में 124 मंदिरों का एक समूह है, जो अति प्राचीन है. इसके



चार-पांच मंदिरों में आज भी नित्य पूजा-अर्चना होती है. यहां स्थित शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है. बारह ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: प्रथम श्री सोमनाथ, जो सीराष्ट्र के कड़यावाड़ में स्थित है. दूसरा श्री शैल पर्वत, जो तमिलनाडु के कुष्णा ज़िले में कुष्णा नदी के तट पर श्री मल्लिकार्जुन के नाम से कैलाश पर्वत पर स्थित है. तीसरा मध्य प्रदेश के उज्जयिनी में श्री महाकाल के नाम से विख्यात है. चौथा ओंकारेश्वर अथवा ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है. पांचवां हैदराबाद के परली में वैद्यनाथ के नाम से विख्यात है. छठवां पुणे से उत्तर भीमा नदी के तट पर डाकिनी नामक स्थान पर श्री भीम शंकर के नाम से स्थित है. इसी प्रकार तमिलनाडु के रामनद ज़िले में सेतुबंध श्री रामेश्वरम् के नाम से सातवां ज्योतिर्लिंग है. आठवां दारूकावन अल्मोड़ा से 35 किमी की दूरी पर योगेश्वर अथवा जागेश्वर के नाम से स्थित है. नौवें ज्योतिर्लिंग के रूप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा की जाती है. गोदावरी के तट पर नासिक-पंचवटी के निकट स्थित श्री त्रयंबकेश्वर को दसवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है. वहीं देवभूमि हिमालय के केदारखंड में स्थित श्री केदारनाथ ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग



के रूप में विख्यात हैं. जागेश्वर में इन मंदिर समूहों का निर्माण किसने कराया, इस सवाल का जवाब खोजने पर भी नहीं मिलता, किंतु इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में कराया था. पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मस्त्य, मगध, अंग एवं बंग नामक अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है. कुमाऊं कौशल राज्य का एक भाग था. माधवसेन नामक सेनवंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आया था. चंद्र राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा थी. देवचंद्र से लेकर बाजबहादुर चंद्र तक ने जागेश्वर की पूजा-अर्चना की. बौद्ध काल में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति गोरी कुंड और जागेश्वर की देव मूर्तियां ब्रह्मकुंड में कुछ दिनों पड़ी रहीं. जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों की पुनर्स्थापना की. स्थानीय विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया.

कहते हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती के आत्मदाह से दुःखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेट कर दायक वन के घने जंगलों में दीर्घकाल तक तप किया. इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया

बनाकर तप करते थे. शिव जी कभी दिगंबर अवस्था में नाचने लगते थे. एक दिन इन ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गईं तो उनकी दृष्टि दिगंबर शिव पर पड़ गई. सुगठित स्वस्थ पुरुष शिव को देखकर वे अपनी सुध-बुध खोने लगीं. अरुंधती ने सब को सचेत किया, किंतु इस अवस्था में किसी को अपने ऊपर काबू नहीं रहा. शिव भी अपनी धुन में रमे थे, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया. ऋषि पत्नियां कामांध होकर मूर्छित हो गईं. वे रात भर अपनी कुटियों में वापस नहीं आईं तो प्रातः ऋषिगण उन्हें ढूढ़ने निकले. जब उन्होंने यह देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां अस्त-व्यस्त मूर्छित पड़ी हैं तो उन्होंने व्याभिचार किए जाने की आशंका से शिव को शाप दे डाला और कहा कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए. शिव ने नेत्र खोला और कहा कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञान के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा. मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा. तुम सप्त ऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे. लिंग के शिव से अलग होते ही संसार में त्राहि-त्राहि मच गई. ब्रह्मा जी ने संसार को इस प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना का सुझाव देते हुए कहा कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती हैं. ऋषियों ने पार्वती की उपासना की. पार्वती ने योनि रूप में प्रगट होकर शिवलिंग को धारण किया. इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से पुकारा गया.

भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं, जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई. मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया. इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया. जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है, जिसमें पूजन अदि का कार्य उच्चकुल भट्ट ब्राह्मण सृष्टि दत्त का परिवार करता है. परिसर में वृद्ध जागेश्वर महादेव, पुष्टि भगवती मां, ऐरावत गुफा एवं होम कुंड आदि दर्शनीय स्थल भी हैं.

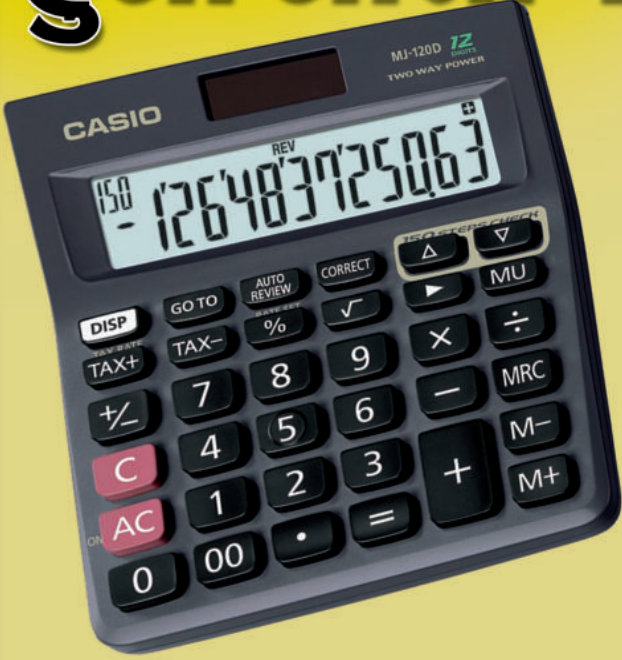
feedback@chautidunya.com



नई रेंज में सुपरनोवा डायल डिजाइन स्टाइलिश है। अभिषेक बच्चन ने कहा कि न्यू कॉन्सेटेलेशन संग्रह लांच करना उनके लिए सुखद अनुभव है।

दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

कैलकुलेशन हुआ आसान



जा पान की जानी मानी कंपनी कैसियो ने अपने चार नए कैलकुलेटर भारतीय बाज़ार में उतारे हैं। इनकी खास बात यह है कि यह भारतीय उपयोगिता के मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उक्त नए मॉडल डीजे-120डी, जेजे-120डी, एमजे-120डी एवं एमजे-100डी हैं। इनमें अगर भारतीय अंकानुसार गणना करनी हो तो सेटिंग्स में बदलाव किया जा सकता है। गणना के दौरान हर पहले तीन अंक के बाद इसमें अल्पविराम आता है।

इसमें खास सुविधा यह दी गई है कि इसे आप अपने ऑफिस और खुदरा दुकानों के लिए अपनी सुविधा अनुसार बदलाव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसे सेलेक्ट करके इसके अंकों को अलग कर सकते हैं और दशमलव के लिए अल्पविराम का चुनाव कर सकते हैं। गणना के दौरान अगर भूल से आप ग़लत मान डाल देते हैं तो गो टू बटन के इस्तेमाल से कैलकुलेशन के बीच में जाकर आप उसे सही कर सकते हैं। कैसियो के जेजे-120डी, एमजे-100डी एवं एमजे-120डी कॉम्पैक्ट कैलकुलेटर हैं, जो कार्यालय और खुदरा उपयोग के लिए उत्तम हैं। कंपनी के सेल्स एवं मार्केटिंग हेड एस के सेठ के अनुसार, कैसियो ने अपने उत्पादों में लोगों की सुविधा, उपयोगिता एवं समय की बचत को खास महत्व दिया है। कैसियो कैलकुलेटर स्टेशनरी की सभी दुकानों में उपलब्ध हैं। हमें विश्वास है कि हमारे उक्त नए उत्पाद इस्तेमाल में अधिक सुविधाजनक साबित होंगे। इनकी कीमत 360 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक है।



घड़ियों का नया संग्रह



कॉन्सेटेलेशन संग्रह लांच करना उनके लिए सुखद अनुभव है। इसका हर डिजाइन परफेक्शन का उम्दा नमूना है। सोनाली ने कहा कि महिला होने के नाते वह ओमेगा की आत्माभिव्यक्ति की अद्भुत स्थिति को बखूबी समझती हैं। चौड़े स्ट्रैप वाला नया संग्रह स्टाइल के मामले में आधुनिक है और उन्हें इसकी बारीक कारीगरी बेहद पसंद आई। यह वाकई अद्भुत है और खास पसंद एवं विश्वस्तरीय उत्पादों की चाहत रखने वाले ग्राहकों को यकीनन आकर्षित करेगा। न्यू कॉन्सेटेलेशन रेंज में महिलाओं की घड़ियों की कीमत 96,000 रुपये से शुरू होती है और पुरुषों की घड़ियों की कीमत 1,05,000 रुपये से शुरू है। इन्हें देश के चुनिंदा शहरों के ओमेगा बुटिकों एवं प्रमुख मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पर खरीदा जा सकता है।

ला इफ स्टाइल एसेसरीज में शामिल घड़ियों के नए-नए डिजाइन और स्टाइल आए दिन बाज़ार में देखने को मिलते हैं। वॉच कंपनी ओमेगा ने घड़ियों का एक नया कलेक्शन लांच किया है। ब्रांड एक्सेसरी अभिषेक बच्चन एवं सोनाली बेंद्रे बहल इस मौके पर मौजूद थे। नफ़ासत से भरपूर इन फैशनेबल डिजाइनों में स्टाइल एवं तकनीक का खूबसूरत मेल है। न्यू कॉन्सेटेलेशन कलेक्शन डिजाइन के लिहाज़ से खास है। इस रेंज में पारंपरिक डिजाइनों के अलावा स्लीक और स्ट्रांगलुक का ज़बरदस्त मेल है। महिलाओं की घड़ियों के न्यू कॉन्सेटेलेशन कलेक्शन में पहली बार लैडर स्ट्रैप की पेशकश की गई है। नई रेंज में सुपरनोवा डायल डिजाइन स्टाइलिश है। अभिषेक बच्चन ने कहा कि न्यू



स्टाइलिश है यह फोन

मो बाइल फोन की दुनिया में धमाल मचाने के लिए सोनी एरिक्सन ने दो नए हैंडसेट भारतीय बाज़ार में उतारे हैं। सोनी एरिक्सन एक्स-10 मिनी और मिनी प्रो नामक दो स्टाइलिश फोन खासतौर से गर्लिश फोन हैं। गॉसिप की शीकीन लड़कियों एवं दोस्तों से हमेशा जुड़े रहने की खाहिश रखने वाले लड़कों के लिए यह फोन एक खास गैजेट हैं, जो उन्हें अपने दोस्तों से इंटरनेट पर नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए कॉन्टैक्ट में बने रहने का मौका देते हैं। इस फोन में कई खास फीचर्स हैं, जो युवाओं को खूब आकर्षित करेंगे। इसमें एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के साथ सिग्नेचर एप्लीकेशंस और कस्टमाइज़्ड फोर कॉर्नर यूआई फीचर हैं, जिनसे आप स्क्रीन पर एक साथ मिसड कॉल,

मैसेज और नेटवर्किंग साइट्स पर अपडेट देख सकते हैं, वह भी बिना अलग-अलग एप्लीकेशंस खोले। 5 एमपी कैमरे से लैस उक्त मोबाइल फोन बेहतरीन तस्वीरें खींचते हैं, जिन्हें विलक करने के तुरंत बाद ही आसानी से इंटरनेट पर अपलोड कर दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता है। संगीत के दीवाने युवा इनफिनाइट बटन की मदद से इंटरैक्टिव म्यूज़िक प्लेयर फीचर से इंटरनेट पर उपलब्ध यूट्यूब और म्यूज़िक स्टोर से संगीत सुन सकते हैं। कंपनी का एक्स-10 मिनी पूरी तरह से टचस्क्रीन फोन है, 15,000 रुपये में आता है, जबकि स्लाइड क्वर्ट कीपेड एक्स-10 मिनी प्रो 16,000 रुपये में उपलब्ध है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी ने घोषणा की है कि नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर जो लोग सोनी एरिक्सन के फैन हैं, उन्हें उक्त खास फोन खरीदने पर एक पेन यूएसबी ड्राइव भी बतौर तोहफा दिया जाएगा।



मेकअप करने का नया अंदाज

भा रतीय सुंदरता की कायल सारी दुनिया है। यहां की लड़कियों की खूबसूरती का बयान हर कोई करता है। इसलिए इन्हें लुभाने के लिए इटालियन कंपनी लॉर्ड एंड बेरी ने अपनी नई कॉस्मेटिक रेंज भारतीय बाज़ार में उतारी है। कंपनी का दावा है कि इस रेंज के प्रोडक्ट न सिर्फ खूबसूरती निखारने का काम करते हैं, बल्कि एक थेरेपी की तरह काम करते हैं। इस रेंज में लिप बाम, प्राइमर, लिपलाइनर, लिपट्रीटमेंट एवं मस्करा आदि हैं। उक्त प्रोडक्ट्स न सिर्फ फेशियल फीचर्स को आकर्षित बनाते हैं, बल्कि इन्हें नियमित लगाने से आंखों और होंठों की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। लॉर्ड एंड बेरी का मस्करा सिल्क प्रोटीन, पैंथॉल एवं विटामिन ई से युक्त है,

जिससे पलकें घनी बनती हैं और इसमें मौजूद ब्लैक मेटालिक पिगमेंट उन्हें खूबसूरत रंग एवं चमक देता है। इसकी कीमत 890 रुपये है। लिप बाम और प्राइमर होंठों को सूर्य की तेज किरणों, ठंडी हवा और प्रदूषण से बचाते हुए मांयस्वराइज करके नरम बनाते हैं। वहीं इनमें मौजूद विटामिन ई एवं एंटी एजिंग एक्शन होंठों को सुरक्षा देने के साथ-साथ नैचुरल और खूबसूरत बनाता है। इसकी कीमत 1,100 रुपये है। लिपलाइनर और लिप ट्रीटमेंट

के साथ हाइड्रोलाइज्ड व्हिट प्रोटीन से युक्त हैं, जो नमी के संपर्क में आते ही होंठों के फाइन लाइंस को नगण्य बनाकर उन्हें नरम बनाते हैं। ये स्मजप्रूफ, वाटरप्रूफ एवं एंटी फेदरिंग हैं, जो होंठों को सॉफ्ट और क्रीमी बनाते हैं। इनकी कीमत 850 रुपये है।

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com





विश्व चैंपियन का सम्मान करना सीखिए

क्या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी यह नहीं जानते कि विश्वनाथन आनंद किस देश के नागरिक हैं? सुनने में यह भले ही अटपटा लगे, लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आनंद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करने के प्रस्ताव पर सरकारी अधिकारियों का रवैया वास्तव में हैरान करने वाला है। दरअसल, अधिकारियों के इस व्यवहार से हमारी मानसिकता का भी पता चलता है। वह यह कि हम अपने नायकों का सम्मान करना भी नहीं जानते।

वि श्वनाथन आनंद, शतरंज की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे सारी दुनिया सम्मान की नज़रों से देखती है और जिसकी उपलब्धियों से हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह नहीं पता कि आनंद भारतीय हैं या नहीं। तीन बार के विश्व चैंपियन और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में दर्जनों खिताब जीत कर भारत का नाम रोशन करने वाले आनंद की नागरिकता पर सवाल उठाकर लेकर क्या साबित करना चाहती है, यह तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे खुद उसकी ही प्रतिष्ठा पर बड़ा लगा है।

मामला दरअसल कुछ ऐसा है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ने आनंद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने का फैसला किया। सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किसी को सम्मानित किए जाने के फैसले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने इस प्रस्ताव को मंत्रालय के पास भेजा, लेकिन अधिकारियों ने यह कहकर मामले को लटका दिया कि आनंद अपना अधिकांश समय स्पेन में बिताते हैं और उनकी नागरिकता पर आखिरी फैसला विदेश मंत्रालय ही ले सकता है। सरकार की इस लालचीताशाही के बीच सम्मान समारोह की तारीख भी नज़दीक आ गई लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। यह सच है कि आनंद स्पेन में रहकर प्रैक्टिस करते हैं और अंतरराष्ट्रीय दूरभाषों में व्यवस्तता के चलते अक्सर देश से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और खुद आनंद की पत्नी ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित भी कर दिया था। फिर भी विभाग के अधिकारियों ने मामले को विदेश मंत्रालय के पास विचारार्थ भेज दिया। मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों से लेकर राजनीतिक दलों तक ने सरकार के इस रवैये की आलोचना की। आनंद ने सम्मान लेने से भी इंकार कर दिया और हैदराबाद विश्वविद्यालय को अपनी कार्यक्रम टालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले को तल

पकड़ता देख खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने आनंद से माफी मांगी. अपने अकर्मण्य अधिकारियों के विपरीत सिब्बल ने बताया कि आनंद की नागरिकता को लेकर तो कोई सवाल था ही नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आनंद के साथ सूची में कुछ और नाम थे, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे और यही देरी की वजह बनी. लेकिन सिब्बल का यह बयान लीपापोती के सिवाय और कुछ नहीं है.

दुर्असल, आनंद की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी कि सरकारी अधिकारियों की विकृत मानसिकता। सच्चाई यह है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत अपने नायकों का सम्मान करना ही नहीं जानता। देश की प्रतिष्ठा के लिए इन नायकों ने अपना खून-पसीना बहाया, तमाम मुश्किलें उठाईं, लेकिन हम उन्हें सम्मान देने का नैतिक कर्तव्य भी नहीं निभाते। ये नायक जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं और लाखों-करोड़ों देशवासियों के लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी इन्हें विवादों से जोड़ने में ही अपनी शान समझते हैं।

पद सश्री, 

पद्मभूषण, पद्मविभूषण और भारत रत्न जैसे शीर्ष राजकीय सम्मानों को लेकर हर साल पैदा होने वाला विवाद भी यही कहानी बयां करता है. प्रकाश पादुकोण हों या पुनेला गोपीचंद, कपिलदेव हों या सुनील गावस्कर, लता मंगेशकर हों या पी टी उषा, शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो, जो सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता और लालफीताशाही का शिकार न हुआ हो. पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज के बेटे प्रकाश अमृतराज की नागरिकता को लेकर भी ऐसा ही विवाद कुछ साल पहले खड़ा हुआ था. और

अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की संभावना ख़तरे में पड़ने लगी थी. ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब सरकारी अकर्मण्यता से आजिज आकर मशहूर चित्रकार मक़बूल फ़ैदा हुसैन ने कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी. हुसैन का यह मामला अकेला नहीं है. इतिहास के पन्नों को टटोलें तो दर्जनों ऐसे नाम मिल जाएंगे, जिन्हें सरकारी अधिकारियों के ढीले-ढाले रवैये के चलते विवादित होना पड़ा. इनमें से कई ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत छोड़ विदेशों में ही शरण लेने में अपनी भलाई समझी. यह तो आनंद की महानता थी कि उन्होंने मामले को ज़्यादा तूल देने से इंकार कर दिया और विवाद के बाद भी उपाधि स्वीकार करने के लिए राजी हो गए.

भारत में शतरंज के खेल को एक नई दिशा देने वाले विश्वनाथन आनंद की उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि वह सरकारी उपाधियों के मोहताज नहीं हैं। न ही इस विवाद से उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आई है। इससे हमारा सरकारी तंत्र की अकर्ण्यता और काम का बेतुका अंदाज़ ही प्रकाश में आया है। अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को लेकर तैयारियों में हो रही देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भारत की प्रतिष्ठा को पहले ही गहरा धक्का लगा है। ताजा विवाद के बाद देश के खेल प्रशासकों की छवि एक बार फिर धूमिल हुई है। लेकिन यहां सवाल केवल सरकार की छवि का ही नहीं है। आनंद जैसे खिलाड़ी का होना देश के लिए गौरव की बात है, उनकी उपलब्धियों से राष्ट्र की प्रतिष्ठा में इज़ाफ़ा होता है। फिर ऐसी शर्मनाक घटनाएं बार-बार क्यों होती हैं? ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम अपने नायकों को इस तरह बेइज़्ज़त करते रहेंगे या उन्हें बेइज़्ज़त होते देखने के लिए मजबूर रहेंगे?

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

aditya@chauthiduniya.com



तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा



www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301



यहां काम करने वाली अभिनेत्रियों के बारे में एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि दरअसल एलबम और फिल्म बनाने के नाम पर अधिकतर प्रोड्यूसर अपनी अस्थाशी का सामना जुटाते हैं.



कलाकार कंगाल निर्माता मालामाल



प्रियंका प्रियम तिवारी

कई भोजपुरी फिल्मों एवं एलबमों में काम कर चुके संजीव गुलाटी बताते हैं कि उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 15 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन वह आज तक इतना नहीं कमा पाए कि खुद के पैसे से एक बाइक खरीद सकें. संजीव कहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में काम के एवज में उन्हें प्रतिदिन 100-200 रुपये तक मिलते हैं. 100-200 रुपये में घर तो चलेगा नहीं, इसलिए वह अपना और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए बल्ब और मोमबत्ती सप्लाई का काम भी करते हैं. जाहिर है, हम रुपहले पर्दे पर इन कलाकारों को देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा काफ़ी बढ़ा-चढ़ाकर लगाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में हालात कुछ और ही होते हैं.

भोजपुरी फिल्मों दुनिया में ऐसे न जाने कितने युवा हैं, जो इंडस्ट्री की चमक-दमक से प्रभावित होकर इस क्षेत्र में करियर बनाने को उतावले हैं. जबकि समाज का आईना कही जाने वाली फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई यह है कि यहां सहायक कलाकारों का सिर्फ़ शोषण किया जाता है. उन्हें उनकी मेहनत और प्रतिभा के अनुरूप पैसा नहीं मिलता है और अगर वे इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है. धनंजय पांडे एक ऐसे ही कलाकार हैं, जिनके लिए अभिनय महज़ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं, बल्कि शौक है. काफ़ी समय से रंगमंच से जुड़े धनंजय कई भोजपुरी फिल्मों एवं धारावाहिकों में काम कर चुके हैं. धनंजय ने महुआ चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक तहकीकात में भी काम किया, लेकिन उसके एवज़ में उन्हें आज तक एक पैसा नहीं मिला. जब उन्होंने पैसों की मांग की तो कहा गया कि पैसा ही देना होता तो सीनियर आर्टिस्ट को न ले लेते? महुआ पर ही प्रसारित होने वाले दूसरे धारावाहिक राग

रागिनी के लिए बिचौलिए ललन पांडे ने उन्हें बढ़िया रोल का झांसा दिया. वह अपने पैसे खर्च करके शहर से बाहर स्थित शूटिंग स्थल तक गए, लेकिन उन्हें उनके लायक रोल नहीं मिला. जो रोल मिला, उसे उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन उसके भी पैसे नहीं मिले. पैसे मांगने पर उनसे झगड़ा किया गया. इन कलाकारों को पैसे भी बिचौलियों द्वारा मिलते हैं, जो वे खुद खा जाते हैं या बहुत कम देते हैं. अगर हम शिकायत करते हैं तो यूनिट से निकाल देने की धमकी दी जाती है. निराश धनंजय कहते हैं कि जब तक आपके व्यक्तिगत संपर्क नहीं हैं, तब तक आपकी प्रतिभा की यहां कोई कद्र नहीं है. पांच साल के करियर में मुझे एक पैसा नहीं मिला, उल्टे मैंने अपना समय और पैसा दोनों गंवाया. कलाकारों को बिचौलियों द्वारा काम मिलता है. ये बिचौलिए ऐसे नए लोगों की तलाश में रहते हैं, जो काम के लिए यहां-वहां अपना बायोडाटा डालते रहते हैं, वहीं से उनका नंबर हासिल कर लिया जाता है.

इस समय भोजपुरी फिल्मों का सालाना कारोबार करीब एक हजार करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. लगातार फिल्मों का निर्माण हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी फिल्मों से जुड़ रहे हैं. एक तरफ़ बॉलीवुड के जाने माने सितारे अमिताभ बच्चन, हेमामालिनी, जैकी श्रॉफ़, अजय देवगन एवं नगमा जैसे लोग मोटी क़ीमत लेकर इस इंडस्ट्री की शान बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ़ यहां काम करने वाले सहायक कलाकार जी तोड़ मेहनत के बाद भी भुखमरी का सामना कर रहे हैं. 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाली मनोज तिवारी की कामेडी फिल्म ससुरा बड़ा पड़सा वाला 15 करोड़ रुपये का व्यवसाय करती है, उन्हीं की दूसरी फिल्म दारोगा बाबू आई लव यू 4 करोड़ रुपये की कमाई करती है और मनोज तिवारी करोड़ों में खेलते हैं, पर उनकी फिल्मों में बतौर सहायक काम करने वाले कई कलाकार दाने-दाने को मोहताज हैं. ऐसे कई बड़े कलाकार और निर्माता हैं, जिनका अपना दामन तो दौलत से भर गया, लेकिन साथी कलाकारों को न शोहरत मिली और न पैसा.

शीतला माता प्रोडक्शन के तहत काम करने वाले रोहित बनर्जी बताते हैं कि वह दो साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पर अभी तक कोई पेपर वर्क नहीं हुआ है. उन्होंने कई प्रोजेक्ट में लीड रोल भी किए, लेकिन एक बार जूनियर आर्टिस्ट का ठप्पा लग जाने पर जूनियर ही बने रहना पड़ता है. जहां बड़े कलाकार बार-बार रीटेक लेते हैं, वहीं हमारा काम एक ही बार में ओके हो जाता है. ज़्यादा समझ, ज़्यादा मेहनत के अलावा बिना कोई नख़रा किए काम करने के बावजूद हमें कोई तवज़ो नहीं दी जाती. कई बार तो ऑडिशन हो जाने के बाद अंत में कोई पहुंच वाला शख्स आ जाने पर हमें निकाल दिया जाता है. शूटिंग के दौरान कई कलाकारों को एक साथ एक कमरे में ठहरा दिया जाता है. कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों-टेक्नीशियनों को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले अधिकांश लोगों के साथ लिखित अनुबंध तक नहीं होता. हो गइल

बा प्यार ओढ़निया वाली से समेत कई फिल्मों में बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम कर चुके धर्मवीर श्रीवास्तव सरीन ख़ान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म पटाव सटाव हटाव की तैयारी में हैं. वह कहते हैं कि फिल्म के मेकअप और नॉर्मल मेकअप में बहुत फ़र्क़ होता है. आजकल फिल्मों के लिए भी पार्लर में मेकअप होने लगा है, जिससे उनके धंधे को बहुत नुकसान हुआ है. उनका कहना है कि इंडस्ट्री में सहायक कलाकारों का बहुत शोषण है. हर कोई चाहता है कि वह कम पैसे या मुफ्त में अपना काम करा ले. जबकि हम लोग भी समान रूप से मेहनत करते हैं. मनोज तिवारी जैसे बड़े कलाकार एक फिल्म के लिए 45 से 50 लाख रुपये लेते हैं, रविकिशन 35 से 40 लाख लेते हैं और टॉप पर चल रहे दिनेश लाल यादव (निरहुआ) 50 से 55 लाख लेते हैं, वहीं छोटे कलाकारों को कुछ पैसों से ही संतोष करना पड़ता है.

लेखकों की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है. इंडस्ट्री में अधिकतर डायरेक्टर खुद ही कहानी का ताना-बाना बुनते हैं और किसी लेखक से पूरी कहानी लिखा लेते हैं. इसमें लेखक का अपना कुछ नहीं होता. उस पर रोल घटाने-बढ़ाने का भी दबाव रहता है. जो दिखता है, वही बिकता है की तर्ज़ पर एक बार शुरू होने के बाद फिल्म की कहानी किधर जाती है, बेचारे लेखक को भी पता नहीं होता. इस तरह के फिल्मी लेखकों को एक फिल्म के पांच सौ या एक हजार रुपये मिल जाते हैं, जबकि बजट में फिल्म लेखन के लिए लाखों का प्रावधान दिखाया जाता है. महत्वपूर्ण कड़ी होने के बावजूद फिल्म निर्माण के बाद लेखकों को क्रेडिट लाइन से बाहर ही रखा जाता है. फिल्म निर्देशकों के बीच एक धारणा यह है कि लेखक को हमेशा भूखा रखो, नहीं तो उसकी रचनात्मकता ख़त्म हो जाएगी. इंडस्ट्री में काम करने वाली अभिनेत्रियों के बारे में एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि दरअसल एलबम और फिल्म बनाने के नाम पर अधिकतर प्रोड्यूसर अपनी अस्थाशी का सामना जुटाते हैं.

अधिकतर भोजपुरी फिल्मों की स्क्रिप्ट शूटिंग शुरू होने के बाद भी कई बार लिखी जाती रहती है. कई तरह के फेरबदल होते रहते हैं. स्टार हीरो सेट पर आने के बाद अंतिम समय में अपना सीन देखते हैं और पसंद न आने पर उसे अपने तरीके से बदलवाते हैं. असिस्टेंट डायरेक्टरों एवं डायरेक्टरों की भी हालत बदतर है. पैसे बचाने के लिए उनसे कई लो प्रोफ़ाइल काम भी कराए जाते हैं. एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि एक्शन और कट बोलने के अलावा भी सेट पर मैं कई काम करता हूं, फिर भी कहा जाता है कि मुझे काम नहीं आता. लोग प्रोडक्शन के हर काम में कमीशन खाने की कोशिश करते हैं. इस संबंध में प्रोडक्शन लाइन से जुड़े लोगों का कहना है कि ऊपर से पैसा नहीं मिलता है तो नीचे से काट लेते हैं.

शीतला प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे अवनीश हिंदी फिल्मों के साथ ही भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वह कहते हैं कि यह तो जगज़ाहिर है कि इंडस्ट्री में नए कलाकारों का शोषण होता है, लेकिन विकल्प भी क्या है. कामयाबी चाहिए तो इन रास्तों पर चलना ही होगा, क्योंकि डूबने के

डर से मांझी पतवार खेना बंद नहीं करता.

ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में काम करने वाले हर कलाकार को पैसा नहीं मिलता. बड़े कलाकारों को पैसा मिलता है, साथ ही उनसे फिल्म निर्देशक, प्रोड्यूसर अच्छे से भी पेश आते हैं, वहीं दूसरी ओर सहायक कलाकारों के प्रति इस तरह का नज़रिया फिल्मी पर्दे के पीछे छिपे सच को उजागर करता है.

priyanka @chauthiduniya.com



दबंग

श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के बैनर तले बनी फिल्म दबंग का निर्माण अरबाज खान प्रोडक्शंस के तहत हुआ है. इस फिल्म के निर्माता दिल्ली मेहता, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा हैं और निर्देशक अभिनव कश्यप हैं. फिल्म में संगीत दिया है साजिद-वाजिद और ललित पंडित ने. बतौर मुख्य कलाकार फिल्म में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, सोनू सूद, विनोद खन्ना, डिपल कपाड़िया, महेश मांजरेकर, ओमपुरी एवं टीनू आनंद हैं. फिल्म में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोशनी डाली गई है. यह आगामी 10 सितंबर को रिलीज़ होगी. इस फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर रही हैं. कहानी है चुलबुल

पांडे (सलमान खान) की, जो लालगुर्ज (उत्तर प्रदेश) में रहता है. सलमान का किरदार निगेटिव शैड्स लिए हुए है. वह एक भ्रष्ट पुलिस अफसर की भूमिका निभा रहे हैं, जो किसी से डरता नहीं है. इसके पीछे भी एक ख़ास वजह है. जब वह छोटा था, तब उसके पिता चल बसे थे. बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहे, इसलिए उसके मन में काफ़ी कड़वाहट है. उसकी मां नैनी (डिपल कपाड़िया) ने प्रजापति पांडे (विनोद खन्ना) से दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसके सौतेले भाई माखनचंद (अरबाज खान) का जन्म हुआ.

चुलबुल को अपने सौतेले पिता और भाई से कोई लगाव नहीं है, लेकिन अपनी मां के लिए उसके दिल में ख़ास जगह है. मां की मौत के बाद उसने सौतेले पिता और भाई से संबंध समाप्त कर लिए. चुलबुल की ज़िंदगी में राजो (सोनाक्षी



सिन्हा) के आते ही उसके स्वभाव में बदलाव आने लगते हैं. वह ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की कोशिश करता है. उसे परिवार का महत्व समझ में आने लगता है.

छेड़ी सिंह (सोनू सूद) के इरादे ठीक नहीं हैं. अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए वह दोनों सौतेले भाइयों को एक-दूसरे के खिलाफ़ खड़ा कर देता है. चुलबुल के लिए माखन मुश्किलें पैदा करता है, लेकिन जब उसे समझ में आता है कि छेड़ी सिंह उसे मोहरा बनाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है तो वह चुलबुल की तरफ़ हाथ बढ़ाता है. क्या चुलबुल उसका साथ स्वीकारेगा? क्या दोनों भाई मिलकर अपने विरोधी के खिलाफ़ लड़ेंगे? क्या चुलबुल अपने निडर स्वभाव का सही दिशा में इस्तेमाल करेगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे दबंग में, जो निर्माता-निर्देशकों के दावे के

अनुसार हाई हिटिंग, मनोरंजक और इमोशन से भरपूर फिल्म है. निर्देशक अभिनव कश्यप को सलमान जैसे स्टार को पहली ही फिल्म में निर्देशित करने का अवसर मिला है. वह चर्चित निर्देशक अनुराग कश्यप के भाई हैं. अनुराग जहां लीक से हटकर फिल्म बनाने में विश्वास रखते हैं, वहीं अभिनव ने मसाला फिल्म बनाई है. अभिनव का कहना है कि उन्होंने सलमान को वैसा ही पेश किया है, जैसा उनके प्रशंसक चाहते हैं.

दबंग में एक आइटम सांग मुन्नी बदनम हुई डाला गया है, जो अरबाज की पत्नी मलाइका अरोड़ा खान पर फिल्माया गया है. सेक्सी मलाइका पर फिल्माए गए गाने आम तौर पर हिट होते हैं, इसलिए अरबाज को अपनी फिल्म में आइटम नंबर के लिए किसी की दूढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी.

प्रिव्यू

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड



दिल्ली, 6 सितंबर-12 सितंबर 2010

www.chauthiduniya.com

कांग्रेस के हाथ लगोगी सत्ता की चाबी



सरोज सिंह

पांच साल पहले रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे। बहुमत न मिलने के कारण नीतीश और लालू उन्हें मनाते रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता की चाबी किसी को नहीं सौंपी। नतीजा यह हुआ कि किसी की सरकार नहीं बनी और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। आज हालात बदल गए हैं। पासवान का लालू के साथ गठबंधन है और नीतीश कुमार सत्ता में हैं, मगर सूबे के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि इस बार भी सत्ता की चाबी का सवाल सामने आ गया है। ज़मीनी स्तर पर जनता का मिज़ाज़ भांपने से लगता है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। सी वोटर के एक सर्वे में कांग्रेस के खाते में 26 सीटें दिखालाई गई हैं। सर्वे से अलग बात करें तो अब तक जो तैयारी कांग्रेस की तरफ से दिख रही है, उससे यही लगता है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ज़िलों से आ रहे संकेत भी कांग्रेस के लिए शुभ हैं। कांग्रेसी नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि पार्टी की पूरी कोशिश है कि कम से कम इतनी सीटों पर जीत हासिल कर ली जाए कि पार्टी के समर्थन के बिना बिहार में कोई सरकार न बन पाए। कांग्रेसी जानते हैं कि संगठन के मामले में अब भी पार्टी काफी कमज़ोर है और उसके पास चुनाव जीतने वाले नेताओं का भी अभाव है। दूसरे दलों के दमदार नेताओं पर पार्टी की नज़र है। टिकट वितरण से नाराज़ दूसरे दल के दमदार नेता अंतिम समय में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेसी चाहते हैं कि बिहार में जो अगली सरकार बने, वह कांग्रेस की शर्तों पर बने। मतलब कांग्रेसी हर हाल में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इसकी पूरी तैयारी में वे लगे हैं।

कांग्रेस की इसी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए जदयू एवं राजद ने हर एक मोर्चे पर उसे घेरने का काम शुरू कर दिया है। तैयारी यह है कि कांग्रेस के हर हथियार को भोथरा करके यह साबित कर दिया जाए कि राजद गठबंधन एवं जदयू गठबंधन ही चुनाव के दो ध्रुव हैं और जनता को इन्हीं दोनों में से किसी एक पर अपना फ़ैसला सुनाना चाहिए। आंकड़ों व मुद्दों को ढाल बनाकर जनता को यह समझाया जाए कि कांग्रेस केवल वोटकटवा की भूमिका में है और इसे वोट देने का मतलब वोट को बर्बाद करना है। कांग्रेस का पहला हथियार है बिहार के विकास में केंद्र का भरपूर सहयोग। इस हथियार को भोथरा करने के लिए महीनों से तीर चलाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार एवं जदयू के दूसरे बड़े नेताओं का कहना है कि सूबे को केंद्र ने केवल इसका हक़ दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिहार का विकास नीतीश कुमार के सुशासन की देन है, जबकि केंद्रीय मंत्रियों एवं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की दलील है कि बिहार के विकास के लिए मनमोहन सरकार ने तिजोरी खोल दी। कांग्रेस एवं जदयू की इस बहस ने तब और ज़ोर पकड़ लिया, जब सोनिया गांधी ने भी बिहार में विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहते हुए कह दिया कि कांग्रेस

बिहार में गंभीरता से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पर नीतीश कुमार तिलमिला गए और उन्होंने कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दे डाली। दोनों तरफ़ से बयानबाज़ी चल ही रही थी कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ने कांग्रेसी नेत-13ओं के चेहरे खिला दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004-05 से 2009-10 के बीच बिहार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में 214 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। आरबीआई हैंडबुक ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स आन स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस के अनुसार, 2005-06 में 12,286 करोड़ की सहायता बिहार को मिली थी, जो 2009-10 में बढ़कर 34,353 करोड़ हो गई। 2009-10 में बिहार को जो यह राशि मिली, उसमें केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, योजना मद, प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता एवं ब्याज चुकाने की राशि शामिल थी। 2004-05 में कुल ट्रांसफ़र्ड शेयर 50 फीसदी था, जो 2009-10 में बढ़कर 72 फीसदी हो गया, जबकि अन्य राज्यों का औसत 34 फीसदी ही रहा।

इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस जदयू को चुप कराने में लगी है तो जदयू के नेता कहने में जुटे हैं कि बिहार को इसके हक के अलावा कुछ नहीं मिला। केंद्र के सोतेले व्यवहार के कारण सूबे का विकास प्रभावित हुआ। ललन सिंह के कांग्रेस को वोट देने की अपील और नीतीश सरकार हटाओ अभियान को जदयू लालू को मदद पहुंचाने की कोशिश बता रहा है। ललन सिंह की सभाओं में उमड़ रही उनकी बिरादरी की भीड़ ने जदयू एवं भाजपा नेताओं की नींद उड़ा दी है। पिछले चुनाव में भूमिहारों ने एनडीए को सत्ता में लाने के लिए दिन-रात एक कर दिया था। अगर इस चुनाव में भूमिहार दूसरे खेमे में चले गए तो एनडीए को करारा झटका लग सकता है। इसी तरह मुसलमानों की कांग्रेस की तरफ़ हो रही गोलबंदी

मौजूदा राजनीतिक हालात में अगर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो दोनों बड़े गठबंधनों को सौ-सौ का आंकड़ा पार करने में मुश्किल होगी। कांग्रेस के पक्ष में अगर मतदाताओं की गोलबंदी जारी रही तो तीस से चालीस सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत कर आ सकते हैं।

ने लालू प्रसाद को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि कभी वह रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कह रहे हैं तो कभी इमामों को वेतन देने का मामला उठा रहे हैं। कांग्रेस को वोटकटवा बताकर वह मुसलमानों से अपना वोट बर्बाद न करने की अपील भी कर रहे हैं। मतलब दोनों ही खेमों में कांग्रेस को लेकर बेचैनी है, क्योंकि कांग्रेस सूबे में काफी तेज़ी से चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगी है। कांग्रेस की इस हैसियत का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में नीतीश को नुकसान होगा तो कुछ इलाकों में लालू को। कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं कि पार्टी अगर इस हैसियत में आ गई तो सत्ता की चाबी हर हाल में उसके हाथ लग जाएगी। बिहार की राजनीति को ज़मीनी स्तर पर समझने वाले विश्लेषकों की राय का निचोड़ निकालें तो यह बात सामने आती है कि अगर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो दोनों बड़े गठबंधनों को सौ-सौ का आंकड़ा पार करने में मुश्किल होगी। अगर कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी जारी रही तो तीस से चालीस सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत कर आ सकते हैं। कांग्रेस की कोशिश तो दूसरे पायदान पर आने की है, पर संगठन की कमज़ोरी एवं पार्टी के भीतर की लड़ाई के कारण फ़िलहाल ऐसा संभव नहीं लग रहा है। कांग्रेस जानती है कि 29 सीटें लेकर रामविलास पासवान ने फरवरी 2005 के चुनाव के बाद गदर मचा दी थी। अगर तीस से चालीस सीटें कांग्रेस के हाथ लग गईं तो वह बिहार में अगली सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

कांग्रेस के भरोसेमंद सूत्रों की बातों पर भरोसा करें तो दरअसल पार्टी की नज़र 2014 के लोकसभा और उसके बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। इस चुनाव को कांग्रेस बोनस के तौर पर देख रही है। पूरी कोशिश सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मज़बूत मौजूदगी दिखाने की है। गोलबंदी तेज़ होने पर अप्रत्याशित चुनाव परिणामों की उम्मीद भी कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हर हाल में सत्ता की चाबी अपने हाथ में करने की है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा कहते हैं कि हमारी लड़ाई सत्ता की चाबी पाने की नहीं है, बल्कि यहां अपनी सरकार बनाकर सही मायनों में सूबे का विकास करने की है। लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार दोनों को ही जनता आजमा चुकी है, अब बारी कांग्रेस की है। प्रदेश की जनता कांग्रेस का इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि सवाल चाबी और ताले का नहीं है, असल सवाल बिहार को बचाने का है और इसे राज्य की जनता अच्छी तरह समझ रही है। इसलिए जनता ने नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। सूबे में लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद-लोचपा गठबंधन की सरकार बनना तय है। ख़ैर दावा जो भी हो, पर सूबे की मौजूदा राजनीतिक सच्चाई यह बता रही है कि कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत की तरफ़ नहीं बढ़ रहा है और इसी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है।

feedback@chauthiduniya.com





श्रद्धा की चर्चा बॉलीवुड, साउथ फिल्मों से लेकर भोजपुरिया इंडस्ट्री में ज़ोरों पर है.

टिकारी राज किला दम तोड़ता स्वर्णिम इतिहास



सुनील सौरभ

मगध के स्वर्णिम अतीत को अपने दामन में समेटे हुए टिकारी राज किला अब तक बिहार सरकार और पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का दंश झेलता रहा है. यही वजह थी कि ऐतिहासिक महत्व वाले टिकारी राज किले का अस्तित्व ख़तरों में पड़ गया था. राज परिवार के सदस्यों द्वारा टिकारी राज किले की भूमि की बिक्री करने से इसका इतिहास भी दम तोड़ता नज़र आने लगा था, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रयास ने इसके अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अब इस ऐतिहासिक किले को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लेने का निर्णय लिया है. विभाग ने इसके विकास और सौंदर्यीकरण का बीड़ा भी उठाया है. इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पुरातत्व विभाग ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक पांच सदस्यीय टीम से निरीक्षण भी करावाया है.

यह ज़िला मुख्यालय गया से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम में टिकारी अनुमंडल मुख्यालय में स्थित है. इसके अंतिम राजा कैप्टन गोपाल शरण सिंह इतिहास के पन्नों में तो दफ़न हो चुके हैं, लेकिन खंडहर में तब्दील होने के बावजूद टिकारी राज आज भी अपनी प्राचीनतम भव्यता का अहसास हर किसी को कराता है. इसी का नतीजा है कि देर से ही सही राज्य के युवा कला एवं संस्कृति विभाग ने सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व वाले टिकारी राज किले को अपने संरक्षण में लेने का निर्णय लिया है. इस किले में 52 आंगन थे. कहा जाता है कि टिकारी किला भूमिगत सुरंग के माध्यम से टिकारी-पंचानपुर मार्ग पर स्थित रामेश्वर बाग से जुड़ा है. सात आना किला परिसर में बने स्नान घर में रानी स्नान करती थी. यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक नाच घर भी बना था, जहां समय-समय पर राजा द्वारा नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. टिकारी राज का बिखराव अंतिम राजा कैप्टन गोपाल शरण सिंह के निधन के बाद से ही शुरू हो गया था. स्थिति यहां तक आ गई कि राज-काज के लिए राज के कुछ हिस्से को मिथिला राज के पास गिरवी रखा गया था.

टिकारी राज के अंतिम नरेश कैप्टन गोपाल शरण सिंह अंग्रेज शासन काल में अपनी बहादुरी और विपरीत दिशा में साठ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ़्तार से कार चलाने के लिए प्रसिद्ध थे.

अद्वितीय रंग, कौशल और बहादुरी के लिए भी गोपालशरण सिंह चर्चित थे. इनका राज्य अनूठी वासू शिल्प के लिए भी ख्यात था. गोपाल शरण सिंह को सामरिक सुरक्षा का अद्भुत रचनाकार और योद्धा माना जाता था, लेकिन आज गोपाल शरण सिंह तथा उनके किले की तमाम खूबियां बिखरती जा रही हैं. उपेक्षा के कारण खंडहर हो चुकी टिकारी किले की सुरंग, मुख्य प्रवेश द्वार का भग्नावशेष, कोषस्थल, बारूदखाना, तालाब, बावन आंगन, सतघरवा, शक्तिपीठ (योगी), इच्छादयिनी कुआं, सुरक्षात्मक खाइयां, तिलस्म कुआं, दरवाजा, भूमिगत रास्ता आज भी लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इस किले में लगातार हो रहे अतिक्रमण तथा राज परिवार के सदस्यों द्वारा किले की भूमि को बेचने से यह लगने लगा था कि इस ऐतिहासिक किले का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन पांच अगस्त 2010 को पुरातत्व विभाग के पदाधिकारियों के पांच सदस्यीय दल युवा कला एवं संस्कृति विभाग के उप सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में टिकारी पहुंच कर इस किले का निरीक्षण किया, तब इस किले को बचाने की मुहिम में लगे लोगों को इस ऐतिहासिक धरोहर को बचने की उम्मीद जगी है. टीम के सदस्यों ने लोगों को बताया कि युवा कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन पुरातत्व निदेशालय द्वारा इस किले को सुरक्षित घोषित करना है. ज़रूरत पड़ने पर बेची गई ज़मीन का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जाएगा. बताया जाता है कि टिकारी राज 852 वर्गमील में फैला था. जिसके अंतर्गत 715 राजस्व गांव आते थे. इन गांवों से साढ़े सात लाख की वार्षिक आय होती थी. 1940 में यह आय बढ़कर करीब 50 लाख हो गई थी. प्रथम विश्वयुद्ध में टिकारी राज ने अंग्रेजी हुकूमत को 30 हज़ार मन खाद्यान्न तथा पांच लाख रुपये मदद में दिए थे.

इस किले में स्थित इच्छादायिनी कुएं के संबंध में बताया जाता है कि उसके गर्भ में हीरे जवाहरत, सोने-चांदी, प्राचीन सिक्के आदि पड़े हैं, जिसकी रक्षा कुएं के पायदान पर स्थित अष्टधातु पर बैठे दो नागराज करते थे. दशकों से काल के थपेड़ों को झेलते टिकारी राज किले को अब संरक्षण और संरक्षक मिलने से उम्मीद जगी है कि इसके स्वर्णिम इतिहास से वाकिफ़ होने लोग यहां आएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है : श्रद्धा

कुछ सीरियल और विज्ञापन फिल्मों में काम कर चुकी श्रद्धा शर्मा आज इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्टार जे सीना के साथ परफॉर्म करने के लिए अटलांटिक सिटी से बुलावा आता है. जी हां, आज श्रद्धा की चर्चा बॉलीवुड, साउथ फिल्मों से लेकर भोजपुरिया इंडस्ट्री में ज़ोरों पर है. हाल ही में भोजपुरी फिल्म *इंटरनेशनल दरोगा* की शूटिंग कंपलीट कर श्रद्धा एक रियलिटी शो में भाग लेने की तैयारी कर रही हैं. उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश.

■ **अटलांटिक सिटी के इवेंट में परफॉर्म करने का न्योता कैसे मिला?**

दरअसल, वहां रहने वाले सभी प्रवासी भारतीय हर साल 15 अगस्त सेलीब्रेट करने के लिए इंडिया के कुछ कलाकारों को बुलाते हैं, पिछले साल प्रीटि जिंटा को निर्मंत्रित किया गया था और इस साल मुझे.

■ **यह तो आपके लिए काफी बड़ी उपलब्धि है?**

उपलब्धि तो है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं वहां जा नहीं पाई.

■ **क्यों?**

दरअसल जब मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि इस सबके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली है. जब तक वीजा बनता, तब तक तो 15 अगस्त निकल भी चुका होता. बस इसी वजह से वहां नहीं जा पाई.

■ **चलिए फिल्मों की बात करते हैं, भोजपुरी में फ़िलहाल क्या कर रही हैं?**

मनोज तिवारी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इंटरनेशनल दरोगा की शूटिंग ख़त्म की है, काफ़ी बड़ी फिल्म है. इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट पर बात चल रही है.

■ **साउथ में जीवा फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही है, बॉलीवुड और भोजपुरी में एक साथ काम कर रही हैं.**

एक साथ सारा काम कैसे एडजस्ट करती हैं?

एडजस्ट तो करना पड़ता है. सब कुछ ऑफर पर निर्भर करता है. अगर ऑफर बेहतरीन होता है तो फिर चाहे साउथ का हो या बॉलीवुड का, स्वीकार कर लेती हूं.

■ **आप मुंबई से हैं, भोजपुरी और तमिल, तेलुगू फिल्मों में काम करने के लिए ये सब भाषाएं सीखनी पड़ी होंगी.**

जी नहीं, मुझे केवल हिंदी और अंग्रेजी आती है, साउथ और भोजपुरी फिल्मों में मेरे किरदारों की डबिंग होती है. रियलिटी शो को जज करने के दौरान मैं अंग्रेजी में ही कमेंट देती थी. इसके अलावा कम्प्युनिकेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करके समझा देते हैं.

■ **स्टेज शो के ज़रिए भी आपने काफ़ी नाम कमाया है. सुनने में आया था कि इन शोज में आपको मिलने वाली फीस कई बड़ी अभिनेत्रियों के मुक़ाबले ज़्यादा होती है.**

जी, यह तो नहीं कह सकती, पर मेरे ज़्यादातर स्टेज टूर काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, चाहे वह हिमेश के साथ हों या अमीषा पटेल और राखी के साथ. जल्द ही मल्लिका सेहरावत के साथ भी एक शो करने जा रही हूं.

■ **आपकी चर्चा का काम से कम विवादों के चलते ज़्यादा होती है, चाहे वह जयपुर वाली घटना हो या राजा चौधरी और राखी विवाद.**

मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मैं सीधे सादे तरीके से काम करना चाहती हूं. फिर मेरे साथ ये विवाद हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए मैं ज़िम्मेदार कतई नहीं हूं. बाकी आप इन्हीं लोगों से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है.

■ **यहां तक पहुंचने में इंडस्ट्री में किसी ने सहारा दिया या कोई गॉडफादर है?**

जी नहीं, इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है, यहां पर सब कुछ अपने दम हासिल किया है. रही बात गॉडफादर की तो अभी तक उसका इंतज़ार है.

राजेश एस. कुमार

rajeshty@chauthiduniya.com

